संस्कृति IAS

RAS BOOK

राजस्थान PCS परीक्षा
के लिए उपयोगी

सामान्य अध्ययन

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संस्कृति IAS
RAS BOOK
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
राजस्थान PCS परीक्षा के लिए उपयोगी

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विषय-सूची

इकाई	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था	3-14
2	प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन	15-33
3	भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों के साथ संबंध	34-42
4	भारत और पाकिस्तान संबंध	43-45
5	भारत और बांग्लादेश संबंध	46-48
6	भारत और नेपाल संबंध	49-50
7	भारत और अफगानिस्तान संबंध	51-54
8	भारत और म्याँमार संबंध	55-57
9	भारत और भूटान संबंध	58-60
10	भारत और श्रीलंका संबंध	61-63
11	भारत और चीन संबंध	64-69
12	भारत और मालदीव संबंध	70-72
13	भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध	73-75
14	भारत और रूस संबंध	76-80
15	भारत-पश्चिम एशिया संबंध	81-90
16	भारत और मध्य एशिया संबंध	91-93
17	भारत एवं दक्षिण-पूर्व एशिया संबंध	94-107
18	अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद	108-117
19	अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता	118-129
20	अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दे	130-136

❖ ❖ ❖

इकाई 1

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था
(International Relations and Post-Cold War World Order)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- अंतर्राष्ट्रीय संबंध
  - अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अभिकर्ता
  - राष्ट्र
- शीतयुद्ध
  - शीतयुद्ध के विभिन्न चरण
  - टूमैन सिद्धांत
  - मार्शल योजना
  - बर्लिन की घेराबंदी
  - उत्तर-अटलांटिक संधि संगठन
  - चीनी क्रांति एवं कोरिया संकट
  - स्वेज़ संकट
- नव-स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में गुटनिरपेक्ष राज्यों की भूमिका
  - गुटनिरपेक्ष आंदोलन
  - क्यूबा का मिसाइल संकट
  - वियतनाम का संघर्ष
  - शीतयुद्ध का अंत
  - शीतयुद्ध की समाप्ति
  - खाड़ी युद्ध एवं पूर्व-पश्चिम भूमिका
- शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था
- नई विश्व-व्यवस्था की शुरुआत
  - 9/11 और 'आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध'
  - इराक पर आक्रमण
  - क्या होता है वर्चस्व का अर्थ?
  - वर्चस्व - सैन्य शक्ति के अर्थ में
  - वर्चस्व - सांस्कृतिक अर्थ में
  - अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relation)

- अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्र-राज्यों की सीमाओं के पार संबंधों का अध्ययन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, वैश्विक शासन, अंतर-सांस्कृतिक संबंध, राष्ट्रीय और जातीय पहचान, सुरक्षा, कूटनीति, आतंकवाद, सामाजिक आंदोलन, और पर्यावरण अध्ययन शामिल हैं। इसका विषय क्षेत्र बहुविषयक और व्यापक है, जो द्वि पक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों, राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संबंधों तथा वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के समाधान पर केंद्रित है। विश्व व्यवस्था स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्रों और उनके मध्य होने वाले अंतर-संपर्कों से निर्मित होती है, जो स्थायी नहीं रहती और समय के साथ बदलती रहती है। यह अध्ययन वैश्विक चुनौतियों को समझने और समाधान खोजने में सहायक है।
- विश्व में संप्रभु राष्ट्र-राज्य विद्यमान हैं। इन संप्रभु राष्ट्रों का आपसी संबंधों का स्वरूप जिसमें राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण अनेक पहलुओं के द्वारा निर्धारित होता है, जिसमें भौगोलिक अवस्थिति, सांस्कृतिक विकास क्रम, राष्ट्र की शासन व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता, ऐतिहासिक मूल्य व विचारधारा इत्यादि शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रीय संगठन, गैर-सरकारी संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे-संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व व्यापार संगठन भी सम्मिलित किए जाते हैं। एक राष्ट्र, अन्य राष्ट्रों तथा संगठनों के साथ कुछ निश्चित नीतियों व सिद्धांतों के आधार पर संबंध निर्धारित करता है, जिसका केंद्र राष्ट्रीय हित होता है। राष्ट्र की सुरक्षा एवं संपन्नता को सुनिश्चित करने के लिए न सिर्फ पड़ोसी देशों के साथ, बल्कि अन्य राष्ट्रों के साथ भी सकारात्मक एवं सौहार्द्रपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं।
- किसी भी राष्ट्र-राज्य का हित उसकी भौगोलिक स्थिति, शैक्षिक सामाजिक-आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास की अवस्था, उपलब्ध संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता, जनसंख्या का आकार आदि कारकों पर निर्भर करता है। सभी देश अपने हित को साधने एवं उसे सुरक्षित रखने हेतु अनवरत प्रयासरत रहते हैं। विभिन्न देशों के हित भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। कुछ देशों के परिस्थिति अनुकूल कुछ 'सामान्य हित' होते हैं। जिसको सार्थक बनाने के लिए ये देश समूह या गुट का निर्माण करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अभिकर्ता (Actors of International Relations)

- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अभिकर्ता वे संस्थाएँ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सफल बनाती हैं। इनमें देश या राज्य अभिकर्ता, गैर-राज्य अभिकर्ता, जैसे– अंतर-सरकारी संगठन, गैर-सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय उद्यम और आतंकवादी संगठन शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 'राज्य' एकमात्र ऐसा अभिकर्ता है, जिसकी अपनी संप्रभुता है। राज्य संप्रभु देश है। अन्य सभी अभिकर्ता राज्य से कार्य करने की अपनी क्षमताएँ प्राप्त करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य/देश अभिकर्ताओं के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ, G-20, सार्क, आसियान, BRICS जैसे अंतर-सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, एमेनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे गैर-सरकारी संगठन कोकाकोला, अमेज़न, अडानी एनर्जी सोल्यूशन, सैमसंग आदि जैसे बहुराष्ट्रीय उद्यम और तालिबान, आई.एस.आई.एस. अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठन प्रमुख गैर-राज्य अभिकर्ता हैं।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 2

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन
(Major International Organization)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- संयुक्त राष्ट्र संघ
- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली
- संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियाँ
- संयुक्त राष्ट्र के संबंधित संगठन
- संयुक्त राष्ट्र के कार्य
- अंतर्राष्ट्रीय कानून/विधियों को यथावत बनाए रखना
- संयुक्त राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ
- संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्
- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन
- खाड़ी सहयोग परिषद्
- जी-7
- क्वाड
- एशियाई विकास बैंक
- जी-20
- जी-77
- शंघाई सहयोग संगठन
- भारत-यूरोपीय संघ
  - वार्ता में बाधाएँ
- ब्रिक्स
- आसियान
- बिम्सटेक
- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO : United Nations Organization)

संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता वर्ष 1945 के 51 मूल संस्थापक सदस्य राष्ट्रों से बढ़कर वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्रों तक हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश महासभा के सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा के निर्णय द्वारा राज्यों को सदस्यता प्रदान की जाती है। संयुक्त राष्ट्र और इसके कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं।

संयुक्त राष्ट्र का चार्टर

- संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज़ है। यह 26 जून, 1945 को सैन फ्राँसिस्को में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन अवसर पर हस्ताक्षरित किया गया था और 24 अक्तूबर, 1945 को लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र अपने अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय चरित्र और अपने चार्टर में निहित शक्तियों के परिणामस्वरूप वैश्विक मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है। चार्टर को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन है, और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य इससे आबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांतों को संहिताबद्ध करता है। राज्यों की संप्रभु समानता की स्थापना से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के प्रयोग के निषेध तक यह चार्टर अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करता है। वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से, संघ के मिशन और संघ के कार्यों को इसके संस्थापक चार्टर में निर्हित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया गया है। इस चार्टर को वर्ष 1963, 1965 और 1973 में तीन बार संशोधित किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित 7 उदेश्य हैं–
  1. संगठन अपने सभी सदस्यों की संप्रभु व समानता के सिद्धांत का आदर करेगा।
  2. सभी सदस्य, वर्तमान चार्टर के अनुसार उनके द्वारा ग्रहण किए गए दायित्वों को सद्भावपूर्वक पूरा करेंगे।
  3. सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में न पड़े।
  4. सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के साथ असंगत किसी भी तरह से बल के प्रयोग से बचने का प्रयास करेंगे।
  5. जिस देश के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र निवारक या प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई कर रहा है, उस देश को कोई भी सदस्य सहायता नहीं देगा।
  6. संयुक्त राष्ट्र इस बात का प्रयास करेगा की जो देश इस संगठन के सदस्य नहीं हैं वे भी चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार आचरण करेंगे।
  7. किसी देश के आतंरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- महासचिव संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और यह संगठन के आदर्शों का प्रतीक है और दुनिया के सभी लोगों विशेष रूप से गरीबों और कमज़ोर लोगों के लिए एक सहायक के रूप में स्थापित है। महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है, जो कि पुन: निर्वाचन के योग्य होता है। वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिन्होंने 1 जनवरी, 2017 को पदभार ग्रहण किया। 18 जून, 2021 को गुटेरेस को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया। उन्होंने विश्व को कोविड-19 महामारी से बाहर निकालने में मदद करना जारी रखने एवं अन्य वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया है। जिसमें पिछले 2 वर्षों से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध एवं वर्तमान में इज़रायल-हमास युद्ध, इज़रायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव, इज़रायल द्वारा लेबनान (हिज्बुल्ला) पर किए गए आक्रमण से उत्पन्न मानवाधिकार का बड़े स्तर पर हो रहे हनन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र लगातार मानवाधिकार की सुरक्षा और युद्ध पीड़ितों को मानवीय सहायता, राहत सामग्री पहुँचाने हेतु प्रयास कर रहा है।

Copyright @ Sanskriti IAS

- भारत प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में विकासशील देशों की समस्याओं के समाधान के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर बल देता है। पर्यावरण की समस्या, समुद्री मार्गों की आवाजाही की स्वतंत्रता, वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार से संबंधित मुद्दों को विश्व व्यापार संगठन के सामने रखना तथा बाह्य अंतरिक्ष के सैन्यीकरण को रोकने जैसी वैश्विक समस्यायों के लिए भारत तृतीय देशों को एकजुट करता आया है।
- महात्मा गांधी के अहिंसा के आदर्श संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं। वर्ष 2007 में, संयुक्त राष्ट्र ने गांधीजी जयंती 2 अक्तूबर को 'अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में घोषित किया है।
- वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र को न केवल सैन्य एवं वित्तीय मदद दे रहा है बल्कि योग एवं अहिंसा जैसे अपने शाश्वत सांस्कृतिक मूल्यों का भी योगदान कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्
(United Nations Security Council - UNSC)

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) संयुक्त राष्ट्र के पाँच प्रमुख अंगों में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र के सर्वाधिक शक्तिशाली निकाय के रूप में माना जाता है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव की ज़िम्मेदारी है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों को वैधता और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंज़ूरी देने की शक्ति भी सुरक्षा परिषद् के पास ही है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में शांति अभियानों की स्थापना करता है। यह उपद्रव फैलाने वाले शक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को आरोपित करता है। साथ ही, सुरक्षा परिषद् विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से सामूहिक सैन्य कार्रवाई भी करता है। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है जिसके पास सदस्य देशों को बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है।
- अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक सुरक्षा में यू.एन.एस.सी. की भूमिका को यूएन चार्टर द्वारा परिभाषित किया गया है। चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद् अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी स्थिति की जाँच करने के लिए अधिकृत है। किसी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सिफारिश करना, आर्थिक संबंधों के साथ-साथ समुद्र, वायु, डाक और रेडियो संचार को पूरी तरह या आंशिक रूप से बाधित करने वाले राष्ट्र के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करता है।
- सुरक्षा परिषद् में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी सदस्यों में चीन, फ्राँस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए विश्व के प्रत्येक भाग से निम्नलिखित अनुपात में किया जाता है–
  - 3 सदस्य अफ्रीकी समूह से होते हैं।
  - 2 सदस्य एशिया-प्रशांत समूह से होते हैं।
  - 2 सदस्य लैटिन अमेरिका और कैरिबियन समूह से होते हैं।
  - 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप समूह से होते हैं।
  - 1 सदस्य पूर्वी यूरोप समूह से होता है।
- भारत अस्थायी सदस्य के रूप में एशिया प्रशांत समूह से वर्ष 2021-22 की कालावधि के लिए चुना गया था।
- वर्तमान में वर्ष 2024 में परिषद के अस्थायी सदस्य देश-माल्टा, जापान, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, स्विट्ज़रलैंड, अल्जीरिया, गुयाना स्लोवेनिया, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन हैं।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन
(North Atlantic Treaty Organization - NATO)

- नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, 1949 को वॉशिंगटन संधि द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में स्थित है।
- इसका उद्देश्य यूरोपीय क्षेत्र में तत्कालीन सोवियत संघ (USSR) के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन के रूप में संगठन को स्थापित करना था।
- नाटो में वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं जिसमें दो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप (यू.एस.ए. और कनाडा), 29 देश यूरोप के और एक देश तुर्किये (यूरोप-एशिया) का है।

- कुछ यूरोपीय संघ के सदस्य, जैसे- साइप्रस, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और माल्टा नाटो के सदस्य नहीं हैं।
- नाटो की स्थापना अपने सभी सदस्य देशों की स्वतंत्रता की रक्षा एवं सुरक्षा करने के लिए राजनीतिक एवं सैनिक हितों के लिए की गई।
- यह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। अर्थात्, एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाता है। (अनुच्छेद-5, नाटो)
- वर्तमान में डच प्रधानमंत्री मार्क रुटे नाटो के महासचिव हैं, इन्होंने 1 अक्तूबर, 2024 को अपना पदभार संभाला।

हेड ऑफिस : 636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
प्रयागराज केंद्र : महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.
9555-124-124
Copyright @ Sanskriti IAS

खाड़ी सहयोग परिषद् (Gulf Cooperation Council - GCC)

- खाड़ी सहयोग परिषद् (GCC) की स्थापना 25 मई, 1981 को रियाद (सऊदी अरब) में की गई।
- सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान GCC के सदस्य देश हैं।
- जी.सी.सी. का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच समन्वय, एकीकरण और लोगों के बीच संबंधों को मज़बूत करना है। अर्थव्यवस्था, व्यापार, सीमा शुल्क, पर्यटन और कानून जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समान नियम बनाना है।
- GCC की रक्षा योजना परिषद् अपने सदस्य देशों के मध्य सैन्य सहयोग का समन्वय करती है।
- वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी संगठन है।
- इसकी आधिकारिक भाषा अरबी है।
- ईरान और इराक इसके सदस्य नहीं हैं।

- 20 अक्तूबर, 2023 को आसियान (ASEAN) और जी.सी.सी. का पहला शिखर सम्मेलन रियाद में संपन्न हुआ। यह शिखर सम्मेलन पश्चिम एशिया में इज़रायल-हमास के बीच हो रहे संघर्ष के दौरान संपन्न हुआ। अत: इसका विशेष महत्त्व है।
- आसियान (ASEAN) और जी.सी.सी. दो क्षेत्रीय ब्लॉक हैं। इनके बीच पहली आधिकारिक बातचीत वर्ष 1990 में संपन्न हुई थी।
- वर्तमान में जी.सी.सी. (GCC) के महासचिव जासिम मोहम्मद अलबुदैवी हैं, जबकि इसका वर्तमान अध्यक्ष देश संयुक्त अरब अमीरात है।

जी-7 (G-7)

- जी-7 विश्व की सर्वाधिक विकसित तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। इस समूह में फ्राँस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा शामिल हैं।
- जी-7 का गठन वर्ष 1973 के तेल संकट और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न वित्तीय संकट जिसके कारण 6 प्रमुख औद्योगिक देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, जापान, इटली और पश्चिमी जर्मनी) के नेताओं को वर्ष 1975 में एक बैठक बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ा, से इसकी नींव पड़ी।
- बाद में, वर्ष 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जी-7 का गठन हुआ।
- वर्ष 1997 में रूस के जी-7 में शामिल होने के बाद इसे कई वर्षों तक जी-8 के नाम से पहचाना गया, लेकिन वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर अधिकार कर लेने के बाद रूस को इस संगठन से निकाल दिया गया जिसके बाद इसका नाम बदलकर पुन: जी-7 कर दिया गया।
- इस संगठन की बैठकें वार्षिक रूप से वैश्विक आर्थिक गवर्नेन्स, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, इन बैठकों में मौजूदा परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है।
- जी-7 समूह का 49वाँ शिखर सम्मेलन हिरोशिमा (जापान) में आयोजित किया गया था। इसमें भारत के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आदि देशों को भी आमंत्रित किया गया था।
- 13 से 15 जून, 2024 तक जी-7 समूह का 50वाँ शिखर सम्मेलन इटली के अपूलिया शहर में हुआ जिसमें अल्खीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भारत, जॉर्डन, कीमिया, मोटिटानिया, ट्यूमिशिया, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात और यूक्रेन को आमंत्रित किया गया था।

क्वाड (QUAD)

- यह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। ये चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधारभूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का भी समर्थन करते हैं।
- क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे ने रखा था। हालाँकि, यह विचार आगे विकसित नहीं हो सका क्योंकि चीन के ऑस्ट्रेलिया पर दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को इससे दूर कर लिया। बाद में, वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ मिलकर 'चतुर्भुज' गठबंधन का गठन किया।
- क्वाड के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
  - 'मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध' इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना।
  - जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटना।
  - तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना।
  - क्षेत्र में निवेश के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
  - इसके अलावा, क्वाड का मुख्य उद्देश्य नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था, नेविगेशन की स्वतंत्रता और उदार व्यापार प्रणाली को सुरक्षित करना है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 3

भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों के साथ संबंध
(Indian Foreign Policy and Relations with Neighbouring Countries)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों के साथ संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
- भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्त्व
- भारत की विदेश नीति का ऐतिहासिक अवलोकन
- नेबरहुड फर्स्ट नीति
  - पड़ोस-प्रथम नीति के निर्धारक
  - नीति के सकारात्मक पहलू
  - चुनौतियाँ
  - आगे की राह
- भारत के पड़ोस से संबंधित आँकड़े और तथ्य
- सीमा विवाद से संबंधित मुद्दे
  - सीमा विवाद क्यों नहीं सुलझ रहे हैं?
- नदी विवाद
  - ब्रह्मपुत्र नदी और भारत-चीन-बांग्लादेश संबंध
  - भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जलसंधि
- व्यापार बाधाएँ
  - कम व्यापार के कारण
- बढ़ते चीनी फुटप्रिंट
  - भारत के लिए निहितार्थ
- आतंकवाद
  - पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद
- क्षेत्रीय संगठन

पृष्ठभूमि

- दक्षिण एशिया में स्थित भारत अपनी स्थलीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्याँमार और बांग्लादेश से साझा करता है। मालदीव, श्रीलंका, थाइलैंड और इंडोनेशिया से भारत समुद्री सीमा साझा करता है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्याँमार से भारत स्थलीय एवं समुद्री दोनों सीमाएँ साझा करता है।
- दक्षिण एशिया में आठ देश-भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव स्थित हैं। इस भू-भाग को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। यह क्षेत्र भारत के व्यापक भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत आते हैं।

भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्त्व

किसी भी देश की विदेश नीति अनेक कारकों पर निर्भर करती है। जिनमें उस देश का भौगोलिक आकार, भौगोलिक अवस्थिति एवं पर्यावरण जैसे महत्त्वपूर्ण कारक शामिल होते हैं। भू-भाग में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन, पूंजीगत एवं तकनीकी क्षमता, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, देश के इतिहास और संस्कृति के द्वारा विदेश नीति प्रभावित होती है। क्षेत्रीय और वैश्विक कारक भी विदेश नीति के महत्त्वपूर्ण निर्धारक तत्त्व हैं।

भारत के विदेश नीति के निर्धारण में कई तत्त्वों का प्रभाव रहा है, जिनमें प्रमुख हैं-

- **भौगोलिक तत्त्व**- किसी भी देश की वैदेशिक नीति के निर्धारण में उस देश की भौगोलिक परिस्थितियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय विदेश नीति के निर्माण के संदर्भ में भी भौगोलिक तत्त्व का महत्त्व है। भारतीय विदेश नीति के निर्माण में भारत का आकार, एशियाई देशों में उसकी विशेष स्थिति, एशियाई उपमहाद्वीप में उसकी भूमिका तथा भारतीय भू-भाग से जुड़ी सामुद्रिक तथा पर्वतीय सीमाएँ जैसे भौगोलिक तत्त्व की महत्ता है। भारत के उत्तर में साम्यवादी चीन, इस्लामिक देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान (पश्चिमोत्तर) है। इन देशों के राजनीतिक, सामाजिक स्थिति और विदेश नीति को देखकर भी भारत अपना विदेश संबंध निर्धारित करता आ रहा है। हिमालय की गोद में बसे हुए नेपाल जो भारत के उत्तर दिशा में है, से भी भारत को बेहतर संबंध बनाए रखना राष्ट्रीय हित के निर्धारण में उचित ही है।
- **गुटबंदियाँ**- स्वतंत्र भारत के विदेश नीति के निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्याप्त गुटबंदियों ने प्रभावित किया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उसके सामने यह प्रश्न आया कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दृष्टिगोचर दो महाशक्ति जो एक गुट का रूप ले चुका था, किसके साथ रहे। अमेरिका के नेतृत्व वाले पूँजीवादी गुट के साथ या दूसरी तरफ पूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी देशों के साथ भारत के लिए किसी भी एक गुट में शामिल होना अहितकर था। ऐसी विषम परिस्थिति में भारत ने दोनों के बीच का रास्ता निकालते हुए एक अलग विदेश नीति कायम की जिसको गुटनिरपेक्षता का नाम दिया गया। यह गुट से अलग होने की तथा स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भूमिका निभाने की नीति है। यह स्पष्ट हो कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग-थलग न होकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने से संबंधित है।
- **विचारधाराओं का प्रभाव**- अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है और वैदेशिक नीति के निर्धारण में तो उसकी सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत के वैदेशिक नीति के निर्धारण में भी विचारधाराओं का प्रभाव रहा है। ऐसे तो दुनिया में मात्र दो ही विचारधारा हैं- एक मार्क्सवाद और दूसरा उदारवाद (पूँजीवाद)। भारत का झुकाव प्रत्यक्ष रूप से न मार्क्सवाद की ओर रहा है न पूँजीवाद की ओर रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ मिश्रित विचारधारा को स्वीकार किया गया है और इसका प्रभाव भारत की विदेश नीति के निर्धारण में रहा है। ऐसे भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में गांधीवादी दर्शन का प्रभाव सिद्धांत और नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रभाव व्यवहारत: देखने को मिलता है। अंत में भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में अरबिंदो घोष, रबींद्रनाथ टैगोर तथा एम. एन. राय के मानवतावादी विचारों की भी झलक मिलती है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इसमें पड़ोसी देशों से प्रगाढ़ व सद्‌भावपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु सम्मान (Respect), संवाद (Dialogue), शांति (Peace), समृद्धि (Prosperity) और संस्कृति (Culture) के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है।

नीति के 4 स्तंभ

1. पड़ोस नीति को प्राथमिकता।
2. पड़ोसी देशों के विकास के लिए सक्रिय समर्थन।
3. क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी और एकीकरण।
4. भारत के नेतृत्व में दक्षिण एशिया क्षेत्र में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देना, जिसमें पड़ोसी भी खुद को सहज पाए।

पड़ोस-प्रथम नीति के निर्धारक

- **आर्थिक सहयोग**- बी.बी.आई.एन. ऊर्जा विकास समूह में संलग्न होना, जिसमें मोटर वाहन, जलशक्ति प्रबंधन और इंटर-ग्रिड कनेक्शन शामिल हैं।
  - **उदाहरण:** क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग के लिए बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) पहल।
- **सामरिक स्थिति लाभ :** दक्षिण एशिया और पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिरता का लाभ उठाना।
  - **उदाहरण:** भारत की भौगोलिक स्थिति इसे क्षेत्र में प्रभाव और नियंत्रण प्रदान करती है।
- **संतुलन नीतिगत दृष्टिकोण :** संतुलन और घरेलू कारकों के आधार पर विदेश नीति तैयार करना।
  - **उदाहरण:** भारत की विदेश नीति इस बात से प्रभावित होती है कि पाकिस्तान और चीन जैसे देश महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों को कैसे बनाकर रखते हैं।
- **कनेक्टिविटी और सहयोग :** क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सार्क सदस्यों के साथ-साथ अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
  - **उदाहरण :** सहयोग और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत का समझौता ज्ञापन। भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जो भारत के मोरेह (मणिपुर) से मांडले (म्यांमार) बागो (म्यांमार) होते हुए माईसोत (थाईलैंड) तक जाता है।
- **आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता :** आपदा प्रतिक्रिया सहयोग, संसाधन प्रबंधन और सहायता प्रदान करना।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2016 के भूकंप के बाद पड़ोसी देश नेपाल को भारत की महत्त्वपूर्ण सहायता और वर्ष 2021 में तालिबान के सत्तासीन होने के बाद अफगानिस्तान को राहत उपाय प्रदान करना।
- **सैन्य और रक्षा सहयोग :** सैन्य सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को मज़बूत करना।
  - **उदाहरण :** नेपाल के साथ सूर्य किरण और बांग्लादेश के साथ संप्रीति जैसे संयुक्त अभ्यास, साथ ही अफगान राष्ट्रीय सेना की क्षमता निर्माण में सहायता करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता।
- **तकनीकी सहयोग :** क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता देना।
  - **उदाहरण :** टेलीमेडिसिन और ई-लर्निंग जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी-साझाकरण की सुविधा के लिए एक विशेष सार्क उपग्रह का निर्माण।

नीति के सकारात्मक पहलू

- **भारत का मुनरो सिद्धांत :** "बिग ब्रदर" की छवि को परिवर्तित करना। "पड़ोसी प्रथम" नीति का उद्देश्य पड़ोसियों के लिए गैर-पारस्परिक, परामर्शी और सहकारी विकास सहायता प्रदान करना है।
- **उप-क्षेत्रीय सहयोग :** बी.बी.आई.एन. और बिम्सटेक
  - बी.बी.आई.एन. और बिम्सटेक जैसी पहलें उप-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं।
  - श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने उप-क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक आर्थिक एकीकरण रोडमैप का सुझाव दिया।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया :** सार्क सहायता और संचालन
  - सार्क सहायता कोष और संजीवनी व नीर जैसे संचालन आपात स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करते हैं।
  - देशों को चिकित्सा सहायता की पेशकश की जाती है, जैसे जल संकट के दौरान मालदीव की सहायता करना।
- **कनेक्टिविटी बढ़ाना :** अवसंरचना परियोजनाएँ
  - सागरमाला, मालदीव में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी परियोजना बी.बी.आई.एन. और कलादान परियोजना जैसी परियोजनाएँ कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं।
- **समुद्री सुरक्षा :** भारत एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में
  - भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका ग्रहण करता है।
  - प्रधानमंत्री मोदी का SAGAR विज़न सभी के लिए सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देता है।
- **विकासात्मक सहायता :** सामुदायिक और त्वरित प्रभाव परियोजनाएँ उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएँ और त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाएँ विकासात्मक सहायता की सुविधा प्रदान करती हैं।

चुनौतियाँ

- **चीन का बढ़ता प्रभाव :** उदाहरण के लिए पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजनाओं ने ऋण स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा के संभावित प्रभावों के बारे में चिंता जताई है।
- **सीमा और नदी जल विवाद :** उदाहरण के लिए, कालापानी-लिपुलेख क्षेत्र को लेकर वर्ष 2020 में भारत और नेपाल के बीच सीमा संघर्ष ने द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग और विश्वास में कमी आई है। डोकलाम और गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हाल के गतिरोध के परिणामस्वरूप विश्वास में कमी आई है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 4

भारत और पाकिस्तान संबंध
(India and Pakistan Relations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत और पाकिस्तान संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
- भारत तथा पाकिस्तान के बीच तनाव के मुद्दे
  - कश्मीर
  - सियाचिन
  - सरक्रीक
  - चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा
  - विषम संतुलन
  - व्यापार क्षेत्र
  - सिंधु जलसंधि
- चीन-पाकिस्तान गठजोड़ का भारत पर प्रभाव
- सुझाव
- निष्कर्ष

पृष्ठभूमि

- पाकिस्तान प्रस्ताव को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन (मार्च 1940) में पारित किया गया जिसके बाद वर्ष 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के माध्यम से दो स्वतंत्र देश भारत तथा पाकिस्तान अस्तित्व में आए।
- दरअसल, भारत से पाकिस्तान का विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया जिसमें आधुनिक बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) भी शामिल था।
- भारत की विदेश नीति के लिए पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। स्वाधीनता और विभाजन के पहले ही सरहद के दोनों ओर सांप्रदायिक उन्माद का ज्वार भयंकर उबाल पर आ चुका था।
- विभाजन के उपरांत जगह-जगह दंगों की आग में मासूम लोग जलते रहें, भारत से पाकिस्तान पहुँचने वाले तथा पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या विकट रूप ले चुकी थी।
- विभाजनकारी परिणामों की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि इन दंगों में हज़ारों जाने गईं, करोड़ों बेघर हुए जिसका दीर्घकालिक परिणाम दोनों देशों के संबंधों में दिखता है।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच तनाव के मुद्दे

कश्मीर

- **युद्ध :** कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों ने 4 युद्ध लड़े हैं-
  - वर्ष 1948, 1965, 1971-72 और 1999
- **मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण :** पाकिस्तान का उद्देश्य कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, जबकि भारत इसे वर्ष 1971 के शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षीय मुद्दा मानता है।
- **कश्मीर केंद्र बिंदु :** विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक कश्मीर मुद्दा हल नहीं हो जाता, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य नहीं होंगे।

सियाचिन

- **ऑपरेशन मेघदूत :** खराब मौसम के कारण एल.ओ.सी. का निर्धारण एनजे 9842 से आगे नहीं किया जा सका।
- सियाचिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यह विश्व का सबसे ऊँचा युद्धस्थल है। इस पर भारत की पहुँच निश्चित रूप से भारत को सामरिक मज़बूती प्रदान करती है। यहाँ से लेह, लद्दाख तथा चीन के कुछ हिस्सों में नज़र रखी जा सकती है।

सरक्रीक

- **भौगोलिक स्थिति :** यह गुजरात को सिंध से अलग करने वाली 92 किमी. की दलदली भूमि है।

Copyright @ Sanskriti IAS

- **सीमा की व्याख्या :** कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा की व्याख्या पर असहमति है।
- **भारतीय दावा :** भारत का दावा है कि सीमा मध्य चैनल में स्थित है जैसा कि 1925 ई. में बनाए गए एक अन्य मानचित्र में दर्शाया गया है और मध्य चैनल स्तंभों की स्थापना 1924 ई. में हुई थी।
- **गिलगित बाल्टिस्तान मुद्दा :** हाल ही में, पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को 'प्रांतीय दर्जा' देकर इसे पाकिस्तान का 5वाँ प्रांत बना दिया है। यह पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (The China-Pakistan Economic Corridor : CPEC)

- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) चीन तथा पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है जो मुख्यत: चीन की OBOR/BRI (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना) का हिस्सा है।
- CPEC परियोजना में रेलमार्ग, राजमार्ग, जलमार्ग तथा पाइपलाइन सहित अनेक अवसंरचना निर्माण परियोजनाएँ शामिल हैं, जिसके माध्यम से चीन के झिंजियांग प्रांत के कासगर को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह (पोर्ट) से जोड़ा जाएगा।
- यह चीन के लिए ग्वादर पोर्ट से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुँच का मार्ग सुनिश्चित करेगा। भारत द्वारा CPEC पहल की गंभीर आलोचना की जाती है क्योंकि यह परियोजना पाक-अधिकृत कश्मीर से होकर गुज़रती है, जो भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवाद का क्षेत्र है।

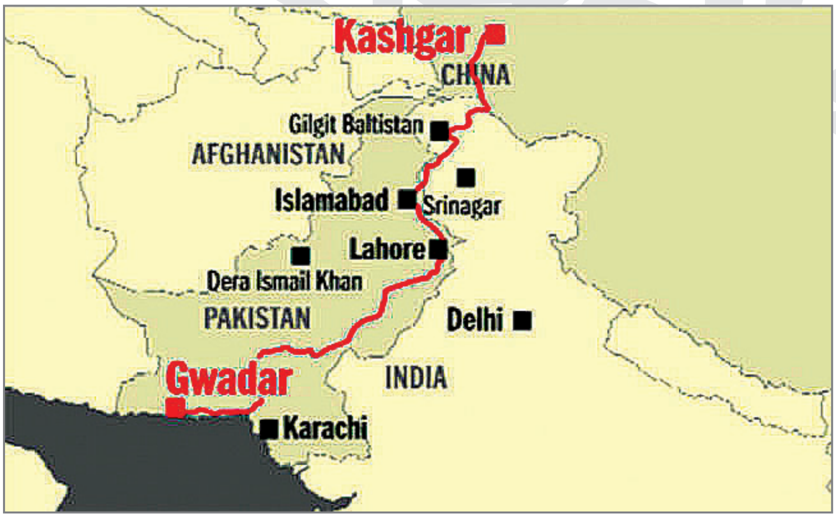

विषम संतुलन

पाकिस्तान कश्मीर को अस्थिर करने के साधन के रूप में आतंकवाद का उपयोग करता है। भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए कश्मीर सीमा पर पी.ओ.के. में कई आतंकवादी लॉन्च पैड स्थापित किए गए हैं।

व्यापार क्षेत्र

- पाकिस्तान ने वर्ष 2023 में भारत को 36.5 हज़ार अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया।
- भारत को वर्ष 2021 में आर्थिक जटिलता सूचकांक (ECI 0.61) में 41वाँ और कुल निर्यात ($403 बिलियन) में 14वाँ स्थान दिया गया।
- संयुक्त राष्ट्र कॉमट्रेड (COMTRADE) डाटाबेस के अनुसार, भारत ने वर्ष 2023 में पाकिस्तान को 523.22 मिलियन डॉलर का निर्यात किया।
- पाकिस्तान को भारत के सबसे बड़े निर्यात में कपास, कार्बनिक रसायन, खाद्य उत्पाद, खाद्य सब्ज़ियाँ, प्लास्टिक वस्तुएँ, मानव निर्मित रेशा, कॉफी, चाय, मसाले और रंग शामिल हैं।
- पिछले 28 वर्षों के दौरान पाकिस्तान को भारत का निर्यात, जो वर्ष 1995 में 76.5 मिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023 में 523.22 मिलियन डॉलर हो गया है।

सिंधु जलसंधि

- पाकिस्तान ने संधि को लागू करने में अपनी 'हठधर्मिता' का प्रदर्शन करते हुए, भारतीय पक्ष में जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास पर बार-बार आपत्ति जताई है।
  - ➤ भारत वर्ष 1960 के समझौते में बदलाव लाने के लिए संधि के अनुच्छेद XII (3) को लागू कर रहा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय जल संधि (International Water Treaty) और इसकी विवाद समाधान प्रक्रिया :** अंतर्राष्ट्रीय जल संधि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी।
  - ➤ उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने वर्ष 1960 में कराची में इस पर हस्ताक्षर किए।
  - **जल का उपयोग :** समझौते के अनुसार, भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग सीमित सिंचाई उद्देश्यों और बिजली के उत्पादन सहित असीमित गैर-उपभोग्य उपयोगों के लिए करने की अनुमति है।
  - **जल-विद्युत उत्पन्न का अधिकार :** भारत के पास विशिष्ट डिज़ाइन और संचालन मानदंडों के अधीन, पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर (ROR) परियोजनाओं के माध्यम से जल-विद्युत उत्पादन का अप्रतिबंधित अधिकार है।
- **निवारण तंत्र :** अंतर्राष्ट्रीय जल संधि (International Water Treaty) का विवाद समाधान तंत्र एक त्रि-स्तरीय प्रणाली है।
- **अंतर्राष्ट्रीय जल संधि (International Water Treaty) का एक रणनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग :** भारत ने सिंधु जल प्रणाली पर अपने अधिकारों का पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया है।
  - ➤ हाल के वर्षों में विशेष रूप से उरी हमले के बाद से ऊपरी तटवर्ती राज्य के रूप में भारत के प्राकृतिक लाभ को देखते हुए,

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 5

भारत और बांग्लादेश संबंध
(India and Bangladesh Relations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत और बांग्लादेश संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
  - भारत-बांग्लादेश संबंधों का महत्त्व
  - संबंधों में विवादित मुद्दे
- सरकार द्वारा की गई पहल
- विवादित क्षेत्र

पृष्ठभूमि

- भारत का अपने पड़ोसियों में सबसे लंबी सीमा (लगभग 4096 किमी.) बांग्लादेश के साथ साझा करता है। दोनों देशों के मध्य साझी भूमि, समुद्री सीमाएँ व नृजातीय संबंध की मौजूदगी तथा भाषा व संस्कृति में समानताएँ द्विपक्षीय संबंधों को विशिष्ट बनाती है। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के जन्म से पहले तक यह भू-भाग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जनसंख्या बाहुल्य के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान के इस भाग पर पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबी पठानों का प्रभुत्व था। धर्म के आधार पर पाकिस्तान से जुड़ा यह क्षेत्र भाषा और संस्कृति के लिहाज से पश्चिम बंगाल (भारतीय क्षेत्र) के अधिक निकट था।
- बांग्लादेश, भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है जो तीन तरफ से भारत से घिर हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1 लाख 48 हज़ार वर्ग किमी. तथा जनसंख्या 16.5 करोड़ है।
- बांग्लादेश की रणनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता और तीव्र आर्थिक विकास इसे भारत का आदर्श भागीदार बनाता है। ढाका के साथ नई दिल्ली की सक्रिय भागीदारी बंगाल की खाड़ी और भारत-प्रशांत क्षेत्र की ओर भारत की बदलती विदेश नीति को भी दर्शाती है।

तथ्य एक नज़र में

- **व्यापार :** वर्ष 2023 में भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 26.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। बांग्लादेश भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक भागीदार है।
- **प्रमुख निर्यात :** बांग्लादेश को भारत के प्रमुख निर्यातों में पेट्रोलियम, सूती धागा, गेहूँ और अन्य वस्तुएँ शामिल हैं। वस्तुओं में शुद्ध वनस्पति तेल, बिना बुने हुए पुरुषों के कपड़े, और विमान, हेलीकॉप्टर, और अंतरिक्ष यान भारत का बांग्लादेश को सबसे बड़े निर्यातों में से हैं।

भारत-बांग्लादेश संबंधों का महत्त्व

- **एक्ट ईस्ट नीति :** बांग्लादेश दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का सेतु है और बी.बी.आई.एन. और बिम्सटेक पहल में एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है।
- वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में बांग्लादेशी सैनिकों की भागीदारी हुई। यह भारत-बांग्लादेश के संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुआ जो भारत द्वारा एक्ट ईस्ट नीति में बांग्लादेश के महत्त्व को दर्शाता है।
- **समुद्री सुरक्षा :** चूँकि, यह रणनीतिक रूप से बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसलिए यह संचार की महत्त्वपूर्ण समुद्री लाइनों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है।
- **व्यापार संबंध :** बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2023 में भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 26.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) का हिस्सा होने के कारण, भारत और बांग्लादेश दोनों को एक-दूसरे के बाज़ार में टैरिफ रियायत के मामले में अधिमानी उपचार मिलता है।
- **कनेक्टिविटी**
  - भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 2010 में हस्ताक्षरित पारगमन समझौते के तहत, बांग्लादेश भारत को परिवहन के तीन तरीकों पर पारगमन सुविधाएँ प्रदान करता है: अंतर्देशीय जल, रेल और तटीय शिपिंग।
  - **भारत-बांग्लादेश अंतर्देशीय जलमार्ग :** यह मार्ग त्रिपुरा को बांग्लादेश के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ता है।
  - **रेल कनेक्टिविटी :** वर्तमान में, बांग्लादेश और भारत के बीच पाँच रेल लिंक चालू हैं।
  - मिताली एक्सप्रेस नामक यात्री रेलगाड़ी भारत-बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी एवं चिलाहाटी के बीच चलाई जाती है।
  - **तटीय शिपिंग :** वर्ष 2018 में, बांग्लादेश और भारत ने एक तटीय शिपिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारत को त्रिपुरा, असम और मेघालय तक माल परिवहन के लिए चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति देता है। समझौते के तहत भारत के लिए कोई पारगमन शुल्क या सीमा शुल्क नहीं है।
  - बांग्लादेश ने भी हाल ही में पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में माल के ट्रान्स-शिपमेंट के लिए अपने अंतर्देशीय मार्ग और चटगाँव व मोंगला के बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति दी है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 6

भारत और नेपाल संबंध
(India and Nepal Relations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत और नेपाल संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
- भारत-नेपाल मैत्री संधि 1950
- दोनों देशों के बीच विवादित मुद्दे
- दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद
- आगे की राह

पृष्ठभूमि

- नेपाल, भारत और चीन के बीच स्थित स्थलरुद्ध (Land Locked) देश है। नेपाल के साथ भारत की खुली सीमाएँ (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों के साथ) लगभग 1850 किमी. तथा सामाजिक-सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध जैसे कारक भारत-नेपाल संबंधों को स्थायित्व प्रदान करते हैं।
- भारत और नेपाल के बीच विशिष्ट मित्रता और सहयोग का रिश्ता है, जिसमें मुक्त सीमाएँ, लोगों और संस्कृति के स्तर पर गहरा जुड़ाव जैसी विशेषताएँ शामिल हैं। वर्ष 1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार है।

आर्थिक क्षेत्र

- भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के अलावा विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत, नेपाल को समुद्री व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। नेपाल का किसी अन्य देश के साथ लगभग 98% का व्यापार कोलकाता बंदरगाह से होता है।
- भारतीय कंपनियाँ नेपाल में विनिर्माण, बिजली, पर्यटन, सेवा क्षेत्र आदि में कार्यरत हैं। नेपाल को लगभग 100% पेट्रोलियम की आपूर्ति भारत से होती है।
- 1990 के दशक से अब तक दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार की सात गुने से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। वर्ष 2002-2003 से भारत का नेपाल के साथ व्यापार अधिशेष रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है।

निवेश

भारतीय कंपनियों का नेपाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रभुत्व है, जो कुल स्वीकृत निवेश के 40% का प्रतिनिधित्व करती हैं।

राजनीतिक

भारत और नेपाल इतिहास, संस्कृति और धर्म में निहित मज़बूत द्विपक्षीय संबंधों को साझा करते हैं, लेकिन उन्हें लगातार सीमा विवादों का सामना करना पड़ता है। खुली सीमा, मुक्त आवाजाही को सक्षम बनाती है।

सामाजिक

दोनों देशों के बीच विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें रोटी-बेटी का रिश्ता के नाम से जाना जाता है।

जल संसाधन

नेपाल की नदियाँ गंगा नदी बेसिन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं और वर्ष 2008 में स्थापित एक द्विपक्षीय समझौता भारत और नेपाल के बीच जल संसाधनों और जल-विद्युत सहयोग को प्रतिबिंबित करता है।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक :

- विश्व के दो प्रमुख धर्मों हिंदू व बौद्ध धर्म का विकास भारत तथा नेपाल में हुआ जिससे ये एक सांस्कृतिक इतिहास को साझा करते हैं।
- भारत तथा नेपाल दोनों ही देशों में बौद्ध तथा हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है।
- दोनों सरकारों ने इस साझी सांस्कृतिक विरासत को भुनाने का भी प्रयास किया है। इसके अलावा, भारत और नेपाल ने जनकपुर और अयोध्या, काठमांडू, वाराणसी, लुंबिनी और बोधगया को जोड़ने के लिए सिस्टर-सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत पाटन दरबार में दो विरासत परियोजनाओं को भी वित्तपोषित कर रहा है : जिसमें भंडारखाल उद्यान और पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का जीर्णोद्धार शामिल है।

रक्षा सहयोग

भारतीय और नेपाली सेना वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण' आयोजित करती है। गोरखा, जो भारतीय सेना का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, का नेपाल की सेना के साथ एक मज़बूत संबंध है जो 200 साल से अधिक पुराना है। भारत नेपाली सेना को उसके आधुनिकीकरण में सहायता के लिए उपकरण और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

आपदा प्रबंधन

दोनों देश सामूहिक आपदा प्रतिक्रिया के लिए बिम्सटेक में भाग ले रहे हैं। वर्ष 2015 के दौरान भारत के द्वारा की गयी सहायता की नेपाल ने भी सराहना की है।

कनेक्टिविटी

- चूँकि, नेपाल एक भू-आबद्ध देश है, इसलिए यह समुद्र तक पहुँच के लिए भारत पर निर्भर है।
- दोनों देश रेल कनेक्टिविटी पर सहमत हुए हैं और नेपाल को हिंद महासागर से जोड़ने के लिए नेपाल में अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं। सीमाओं पर एकीकृत चेक बंदरगाहों की स्थापना, जिनमें हाल ही में बीरगंज और विराटनगर शामिल हैं, ने भी व्यापार और पारगमन को आसान बना दिया है।

भारत-नेपाल मैत्री संधि, 1950

- यह संधि भारत में नेपाली नागरिकों को वर्क परमिट के बिना कार्य करने की अनुमति देती है। इस संधि के प्रावधानों के तहत नेपाली

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 7

भारत और अफगानिस्तान संबंध
(India and Afghanistan Relations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत और अफगानिस्तान संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
- भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्त्व
- भारत-अफगानिस्तान विकास साझेदारी
  - राजनीतिक क्षेत्र
  - आर्थिक क्षेत्र
  - सांस्कृतिक क्षेत्र
  - शिक्षा और क्षमता निर्माण
- अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा
- चुनौतियाँ
- तालिबान पर भारत का परिवर्तित रुख
  - रुख में परिवर्तन क्यों
- भारत-अफगानिस्तान संबंध के समक्ष चुनौतियाँ
- तालिबान का अफगानिस्तान पर नियंत्रण

पृष्ठभूमि

- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधारों पर भारत तथा अफगानिस्तान के बीच मज़बूत संबंध रहे हैं। सदियों से भारत पर हमला करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के लिए आधार के रूप में होने के कारण, अफगानिस्तान हमेशा भारत की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण रहा है।
- मध्य एशिया, दक्षिण एशिया तथा मध्य पूर्व के द्वार पर स्थित अफगानिस्तान एक इस्लामिक देश है। अफगानिस्तान की सीमाएँ पूर्व में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान तथा तज़ाकिस्तान से लगती है। उत्तर-पूर्व में अफगानिस्तान की सीमा चीन तथा एक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान से मिलती है, जिस पर भारत भी दावा करता है।
- अपनी भू-रणनीतिक स्थिति के कारण इसका राजनीतिक महत्त्व है। अफगानिस्तान 'ग्रेट गेम्स' और 'साम्राज्यों के कब्रिस्तान' का केंद्र रहा है। गांधार-भारत संबंध, जिसे प्रायः अफगानिस्तान-भारत कनेक्शन के रूप में जाना जाता है, अफगानिस्तान के साथ भारत के राजनयिक संबंधों को संदर्भित करता है। भारत के अफगान संबंधों का विशिष्ट पहलू, सैन्य भागीदारी के स्थान पर आर्थिक सहयोग रहा है।

तथ्य एक नज़र में
• केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख के साथ, भारत और अफगानिस्तान 106 किमी. लंबी भूमि सीमा साझा करते हैं।
• अफगानिस्तान पर यू.एन.ओ.डी.सी. रिपोर्ट 2021 के अनुसार, अकेले अफगानिस्तान हेरोइन और मॉर्फिन आपूर्ति के वैश्विक कुल उत्पादन का 85% हिस्सा रखता है।

भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्त्व

- **भू-रणनीति–**
  - **स्थिति :** पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व एशिया को जोड़ता है।
- **ईरान, भारत, चीन और रूस जैसे महत्त्वपूर्ण देशों से निकटता:**
  - शीतयुद्ध के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच 'ग्रेट गेम्स' का केंद्र।
  - **शक्ति का क्षेत्रीय संतुलन :** अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता भारत के क्षेत्रीय नेता और वैश्विक शक्ति के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है।
  - **मैत्री संधि :** वर्ष 1949 में भारत और अफगानिस्तान ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए।
  - **चीनी प्रभाव का मुकाबला :** वन बेल्ट वन रोड और अन्य निर्माण कार्यों के माध्यम से चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।
  - **आंतरिक सुरक्षा :** अफगानिस्तान कट्टरपंथी विचारधारा, मादक पदार्थों की तस्करी का केंद्र है। अतः क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण अफगानिस्तान आवश्यक है।
- **अफगानिस्तान पर चौथा क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद :** भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) ने दुशांबे (तज़ाकिस्तान) यात्रा के दौरान आतंकवाद से निपटने के लिए अफगानिस्तान की क्षमता को मज़बूत करने का आह्वान किया।
- **भू-आर्थिक क्षेत्र**
  - **कनेक्टिविटी :** वाणिज्य और व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण चौराहे के साथ-साथ चारों ओर से भूमि से घिरे मध्य एशिया का प्रवेश द्वार।
- वर्ष 2017 में, भारत-अफगानिस्तान एयर फ्रेंट कॉरिडोर व्यापार के लिए खोला गया।
  - **खनिज संपदा :** अमेरिकी भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि अफगानिस्तान में 1 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के खनिज संसाधन हैं, जिनमें ताँबा, लोहा और अन्य धातुएँ शामिल हैं।
  - **ऊर्जा सुरक्षा :** अफगानिस्तान में गैस और तेल सहित विशाल अविकसित हाइड्रोकार्बन भंडार हैं। इसके अतिरिक्त, यह तापी पाइपलाइन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
  - **व्यापार :** भारत और अफगानिस्तान के बीच एक अधिमानी व्यापार समझौते में अफगान सूखे मेवों की कुछ श्रेणियों (38 उत्पादों) को 50% से लेकर 100% तक पर्याप्त टैरिफ रियायतें प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 8

भारत और म्याँमार संबंध
(India and Myanmar Relations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत और म्याँमार संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
  - ➤ संस्थागत तंत्र
  - ➤ विकास सहयोग
  - ➤ वाणिज्यिक सहयोग
  - ➤ संपर्क बढ़ाना
  - ➤ आपदा राहत
  - ➤ सांस्कृतिक क्षेत्र
  - ➤ भारत के लिए म्याँमार का महत्त्व
  - ➤ द्विपक्षीय संबंधों में मुद्दे
  - ➤ म्याँमार में बढ़ती चीन की उपस्थिति
  - ➤ भारत की चिंताएँ

पृष्ठभूमि

- भारत के पड़ोसियों में पूर्वोत्तर सीमांत पर स्थित म्याँमार (बर्मा) घने जंगलों से आच्छादित एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत के चार उत्तर-पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिज़ोरम, म्याँमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा यह एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ सीमा बनाता है तथा भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया के द्वार को खोलता है।
- म्याँमार सदियों से भारतीय धर्म एवं संस्कृति से प्रभावित रहा है। वहाँ के समाज में बौद्ध भिक्षु हमेशा से प्रतिष्ठित व सम्मानित रहे हैं क्योंकि म्याँमार की बहुसंख्य जनता बौद्ध मतानुयायी रही है। भारत-म्याँमार संबंधों की औपचारिक शुरुआत 1951 की मैत्री संधि के माध्यम से हुई।
- भारत के लिए म्याँमार रणनीतिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण देश है। भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' तथा 'एक्ट ईस्ट नीति' के लिए म्याँमार की स्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एकमात्र दक्षिण-पूर्व एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ सीमा साझा करता है।
- ये पाँच बी-बौद्ध धर्म (Buddhism), व्यापार (Business), बॉलीवुड (Bollywood), भरतनाट्यम (Bharatnatyam) और बर्मा टीक (Burma teak), भारत-म्याँमार संबंधों की धारणा निर्धारित करते हैं।

संस्थागत तंत्र

- **राष्ट्रीय स्तर की बैठक :** सुरक्षा सहयोग, कांसुलर मामलों, मादक पदार्थों की तस्करी और एजेंसी समन्वय के लिए प्राथमिक चर्चा मंच गृह सचिव द्वारा स्थापित किया गया था।
- **संयुक्त सीमा कार्य समूह :** सीमा मामलों पर संयुक्त सचिव (भारत-म्याँमार), विदेश मंत्रालय द्वारा चर्चा की जाती है।
- **संयुक्त व्यापार समिति :** यह द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गठित एक संस्था है जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की जाती है।
- हाल ही में इस समिति की आठवीं बैठक सितंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की गयी जिसमें दोनों देशों के मध्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना आदि मुद्दे पर सहमति बनी।

विकास सहयोग

- **मुख्य रूप से अनुदान-आधारित निधि :** भारत ने हाल ही में म्याँमार को 1.75 बिलियन डॉलर से अधिक की विकास सहायता प्रदान की है। इस सहायता का अधिकांश भाग अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित है।
- **उदाहरण :** राखीन राज्य विकास कार्यक्रम, त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना और बागान के आनंद मंदिर की पुनर्स्थापना और सुरक्षा विकास पहलों में से हैं।

वाणिज्यिक सहयोग

- भारत, म्याँमार का पाँचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इस व्यापार में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है। म्याँमार द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में फलियाँ, दलहन तथा इमारती लकड़ियाँ शामिल हैं तथा भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में चीनी, दवाईयाँ आदि सम्मिलित हैं।
- **ऊर्जा :** यह देखते हुए कि भविष्य में अपतटीय गैस खोजों को भारत में भेजा जा सकता है, म्याँमार में ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भागीदार बनने की क्षमता है। अब तेल एवं गैस और बिजली क्षेत्रों में सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह हैं।
- **निवेश :** 771.488 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्वीकृत निवेश के साथ भारत ग्यारहवें स्थान पर है। म्याँमार के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत 13 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम संलग्न है।

कनेक्टिविटी

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश/निकास बिंदु :** दो अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश/निकास बिंदु आधिकारिक तौर पर अगस्त 2018 में तमू-मोरेह और रिहखवदार-जोखावथर में खोले गए। इन दोनों भूमि सीमा चौकियों को पूरी तरह से कार्यशील बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 9

भारत और भूटान संबंध
(India and Bhutan Relations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत और भूटान संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
  - राजनीतिक क्षेत्र
  - आर्थिक क्षेत्र
  - भौगोलिक और सामरिक क्षेत्र
  - आंतरिक सुरक्षा
  - बाढ़ प्रबंधन
  - सांस्कृतिक और शिक्षा
  - सहयोग के मुद्दे
- आगे की राह
  - अर्थव्यवस्था
  - विदेशी सहायता
  - राजनीतिक क्षेत्र
  - रक्षा क्षेत्र
  - अंतरिक्ष एवं पर्यावरण सहयोग
  - पनबिजली
  - भूटानी मूल्य
  - शैक्षिक और औद्योगिक क्षेत्र
  - चीन का मुकाबला

पृष्ठभूमि

- **8वीं शताब्दी ई. :** ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच मज़बूत सांस्कृतिक संबंध हैं जो मुख्य रूप से तिब्बती गुरु पदमासंभव के दौरान फले-फूले, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में तिब्बत में तांत्रिक बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी।
- **वर्ष 1947 :** भूटान उन सभी देशों में से था जिन्होंने सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता को मान्यता दी।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भूटान की सदस्यता का समर्थन किया।
- **वर्ष 1972 :** भारत और भूटान के व्यापार और वाणिज्य समझौते ने उनके बीच मुक्त व्यापार और वाणिज्य की स्थापना की।
- **स्वतंत्रता के बाद :** हालाँकि दोनों देशों ने वर्ष 1978 में दूतावास खोले, लेकिन इन पड़ोसियों के बीच संबंध वर्ष 1949 की भारत-भूटान मित्रता और सहयोग संधि पर आधारित है। इस संधि को वर्ष 2007 में संशोधित किया गया था जो उनके बीच संबंधों के निरंतर विकास को दर्शाता है।

वर्ष 2007 मैत्री संधि के संशोधित प्रावधान

- इसने भारत के बड़े भाई के दृष्टिकोण से हटकर समानता के तत्त्व को अपनाया।
- **स्वतंत्र विदेश नीति :** संशोधित संधि के अनुच्छेद 2 और 4 ने भूटान को भारत के सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए एक ही समय में अपनी विदेश नीति को अधिक स्वतंत्र रूप से संचालित करने में सक्षम बनाया।
- **हथियारों की खरीद :** अनुच्छेद 4 भूटान को भारत की सहमति के बिना अन्य देशों से सैन्य उपकरण आयात करने की अनुमति देगा।
- **सुरक्षा चिंता :** दोनों देशों का कर्तव्य है कि वे अपनी सीमाओं के भीतर सार्वजनिक सुरक्षा और अन्य हितों को खतरे में डालने वाले गैर-कानूनी कार्यों को रोकें।

राजनीतिक क्षेत्र

- **बहुपक्षीय साझेदारी :** दोनों देश बहुपक्षीय संगठनों को साझा करते हैं जैसे–
  - **सार्क** (क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ)।
  - **बिम्सटेक** (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल)।
  - **बी.बी.आई.एन.** (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल पहल)।
  - **लोकतांत्रिक सिद्धांत :** भारत के समर्थन के माध्यम से, भूटान वर्ष 2007 से सामान्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास करते हुए एक सफल लोकतंत्र रहा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समर्थन :** भूटान उन पहले देशों में से था जिन्होंने भारत के परमाणु परीक्षण का समर्थन किया था।
- भारत को संयुक्त राष्ट्र के मंच से भूटान का सदैव समर्थन मिलता रहा है।

आर्थिक क्षेत्र

- **व्यापार :** भूटान के आयात का मुख्य स्रोत और सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार भारत है। भूटान की जल-विद्युत क्षमता देश के लिए राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- **निवेश :** भूटान के मध्यम आय का दर्जा हासिल करने से भारत को वहाँ निवेश करने का मौका मिलता है।
- भारत ने भूटान की आगामी 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहायता करने का निर्णय लिया है। इससे पहले 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत द्वारा 4,500 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे।
- भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति (Neighbourhood First Policy) के अनुसार बजट 2024-25 में सहायता पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा 2068 करोड़ रुपए भूटान को दिया है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 10

भारत और श्रीलंका संबंध
(India and Sri Lanka Relations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत और श्रीलंका संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
  - सामरिक महत्त्व
  - आर्थिक सहयोग
  - सांस्कृतिक तथा शैक्षिक सहयोग
  - रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग
  - बहुपक्षीय सहयोग
  - राजनीतिक
  - विकासात्मक सहायता
- भारत-श्रीलंका संबंधों के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे

पृष्ठभूमि

- भारत-श्रीलंका के मध्य प्राचीन सांस्कृतिक व धार्मिक संबंध रहे हैं। श्रीलंका भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश है, जो एक पतले चैनल से भारत के स्थलीय भाग से अलग है। हिंद महासागर में श्रीलंका की रणनीतिक स्थिति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह हिंद महासागर के समुद्री संचार मार्ग पर स्थित है।
- श्रीलंका की जनसंख्या 2 करोड़ 14 लाख तथा क्षेत्रफल 65 हज़ार वर्ग किमी. है। श्रीलंका में 74% सिंहली भाषी व 18% तमिल भाषी समुदाय के लोग निवास करते हैं।
- श्रीलंका में मुख्य रूप से जनसंख्या सिंहली बौद्ध धर्म तथा तमिल हिंदू धर्म को मानने वालों की है।
- बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु सम्राट अशोक के पुत्र महिंद्र और पुत्री संघमित्रा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका गए थे। इससे दोनों देशों के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध स्थापित हुआ।
- 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के चोल राजवंश ने श्रीलंका पर कई बार विजय प्राप्त की। हालाँकि, चोलों ने श्रीलंका पर एक स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव भी छोड़ा, जिसने कला, वास्तुकला और भाषा को प्रभावित किया।
- श्रीलंका सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगाली उपनिवेश बना तथा बाद में सन् 1656 में पुर्तगालियों को हराकर डचों ने श्रीलंका को अपने नियंत्रण में ले लिया और अंततः सन् 1796 में डचों को हराकर श्रीलंका पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया।
- इस तरह श्रीलंका लंबे समय तक ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करता रहा और वर्ष 1948 में इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वर्ष 1972 में इसका औपचारिक नाम श्रीलंका कर दिया गया गौरतलब है कि इसके पहले इसे सीलोन नाम से जाना जाता था। नव स्वतंत्र श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है तथा इसने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। यह सार्क के संस्थापक सदस्यों में से एक है तथा यह राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है।
- लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) का गठन वर्ष 1976 में हुआ था और यह वर्ष 1983 से 2009 तक श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के साथ सशस्त्र संघर्ष में शामिल रहा।
- तमिल संघर्ष के दौरान, भारत औरश्रीलंका ने 13वें संशोधन को लागू करने और भारतीय शांति सेना (आई.पी.के.एफ.) को श्रीलंका भेजने के लिए वर्ष 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए।

सामरिक महत्त्व

- प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणीय सिरे पर स्थित श्रीलंका भारत के लिए सर्वाधिक व्यापक दृष्टि में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक सभी के समुद्री मार्ग पर है जो इसे भू-राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बना देता है।
- **सैन्य-** भारत की नौसेना के लिए श्रीलंका रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर जाने वाले नौसैनिक बेड़े को श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है।
- **भू-राजनीतिक-** श्रीलंका का स्थान इसे भारत की हिंद महासागर रणनीति और हिंद महासागर रिम समुदाय की स्थापना के उद्देश्य के लिए भागीदारों के साथ नेटवर्किंग के लिए महत्त्वपूर्ण बनाता है।
- **चीन की उपस्थिति-** भारत बंदरगाहों में निवेश के माध्यम से श्रीलंका में चीन की बढ़ती उपस्थिति से भी चिंतित है, जिसका उपयोग संभवतः सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

आर्थिक सहयोग

- वर्ष 2000 में 'भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते' (ISFTA) ने दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- श्रीलंका सार्क देशों में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत, वैश्विक स्तर पर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- वर्ष 2023 में भारत-श्रीलंका के मध्य कुल 5.254 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 11

भारत और चीन संबंध
(India and China Relations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत और चीन संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
  - विभिन्न विशेषज्ञों का मत
- भारत तथा चीन के मध्य सहयोग के क्षेत्र
  - भारत-चीन आर्थिक संबंध
  - भारत-चीन सांस्कृतिक संबंध
- भारत-चीन बहुपक्षीय जुड़ाव भारत तथा चीन के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे
  - भारत-चीन सीमा विवाद
  - चीनी आक्रमण के संभावित कारक
  - भारत-चीन जल संबंध
  - दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव
- भारत-ताइवान
  - भारत-ताइवान संबंधों का इतिहास
  - भारत-ताइवान संबंधों की वर्तमान स्थिति
- चीन-तिब्बत और भारत
  - भारत के लिए चुनौतियाँ
  - आगे की राह

पृष्ठभूमि (Background)

- विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन व भारत हज़ारों वर्ष पुरानी संस्कृति साझा करते हैं। प्राचीन भारत के बारे में हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत चीनी यात्रियों के वृतांत हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि दोनों ही देश हज़ारों वर्ष पुरानी जीवंत संस्कृति के वारिस हैं।
- गुप्त काल में फाहियान, सम्राट हर्ष के काल में ह्वेनसांग जैसे बौद्ध मतानुयायी अनेक वर्षों तक भारत प्रवास के दौरान भारतीय समाज व संस्कृति को समझते हुए बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त किए।
- भारत, चीन के साथ दूसरी सबसे बड़ी (पहली बांग्लादेश के साथ) सीमा साझा करता है। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश हैं।
- भारत की स्वतंत्रता के समय चीन में हो रहे गृह युद्ध (Civil War) में साम्यवादी विजय की ओर अग्रसर थे, जबकि इसी समय भारत अपने विभाजन से उत्पन्न समस्या का सामना करने में लगा हुआ था।
- वर्ष 1949 में साम्यवादी चीन की स्थापना को भारत ने मान्यता प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रतिनिधित्व को समर्थन दिया। अत: गैर-साम्यवादी देश विशेषत: अमेरिका की भारत से नाराज़गी स्वाभाविक ही थी। हालाँकि, वर्ष 1950 में भारत द्वारा उत्तर कोरिया का दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किए जाने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव के समर्थन किए जाने पर अमेरिका ने भारत की प्रशंसा की।
- वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया तथा इस घटना पर जब भारत द्वारा आपत्ति जताई गई तो चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि वह साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभाव में आ गया है।
- चीन के आरोप का खंडन करने के लिए भारत ने तिब्बत पर चीन के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया तथा भारत ने यह भी माना कि उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का उसका कोई इरादा नहीं था। जिसके बाद दलाई लामा ने तिब्बत के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का निर्णय लिया।
- मई 1954 में भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस तरह दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया। पंचशील समझौते के बाद आगामी चार वर्षों का युग (1954-1957) भारत-चीन की गहरी दोस्ती तथा 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के समय को प्रदर्शित करता है।
- हालाँकि, दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौते का उल्लंघन चीन द्वारा अगले ही वर्ष कर दिया गया जब मार्च 1955 में चीन के आधिकारिक मानचित्र में भारत की उत्तरी सीमा के एक भाग को शामिल करके दिखाया गया, भारत द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई।
- वर्ष 1959 में दलाई लामा तथा हज़ारों तिब्बतवासी ल्हासा छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल, चीन के विरुद्ध तिब्बत के निवासियों द्वारा वर्ष 1959 में विद्रोह करने पर चीन ने बड़ी ही निर्दयता से इस विद्रोह का दमन किया। चीन की इस गतिविधि पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जिससे दोनों देशों के संबंध बिगड़े।

विभिन्न विशेषज्ञों का मत

- "भारत ने अपनी सीमा के पार एक भी सैनिक भेजे बिना 20 शताब्दियों तक सांस्कृतिक रूप से चीन पर विजय प्राप्त की और उस पर प्रभुत्व बनाए रखा।" -हू शिह
- "चीन, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती है" -शशि थरूर
- भारत-चीन संबंध 'इंच से मील की ओर' की यात्रा है। INCH 'भारत-चीन' है, जबकि MILES 'मिलेनियम ऑफ एक्सेप्शनल सिनर्जी' है। -पीएम मोदी

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 12

भारत और मालदीव संबंध
(India and Maldives Relations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत और मालदीव संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
- मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की भारत यात्रा
- भारत के लिए मालदीव का भू-सामरिक महत्त्व
- भारत के लिए मालदीव का महत्त्व
- मुद्दे
- सुझाव

पृष्ठभूमि (Background)

- मालदीव हिंद महासागर में लगभग 115 वर्ग मील में विस्तृत कोरल द्वीपों का एक द्वीपसमूह है। इसके उत्तर में भारत का लक्षद्वीप तथा पूर्व में श्रीलंका स्थित है। मालदीव, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों ही आधार पर एशिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 298 वर्ग किमी. है तथा यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक संप्रदाय मुस्लिम है (कुल जनसंख्या का 99.04%)।
- भारत व मालदीव की सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा तथा धरोहरों में समानताएँ पाई जाती हैं। परंपरागत वेश-भूषा, खान-पान, रहन-सहन आदि आधार पर भारतीय प्रभावों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत ने सदैव सभी मुद्दों पर मालदीव का साथ दिया है चाहे वह सैन्य सहायता से संबंधित मुद्दा हो अथवा आपदा राहत व विकास जैसे मुद्दे हों।
- मालदीव की स्वतंत्रता (1965) के बाद उसे मान्यता देने वाला तथा उसके साथ राजनयिक संबंध बनाने वाला भारत प्रथम देश था। भारत ने समय-समय पर मालदीव को सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराई है उदाहरणस्वरूप वर्ष 1988 में श्रीलंकाई उपद्रवियों (ईलम समर्थक समूह) के विद्रोह को कुचलने के लिए भारत ने 'ऑपरेशन कैक्टस' चलाया।
- **आर्थिक :** वर्ष 1981 में भारत और मालदीव के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- वर्ष 2022 में भारत और मालदीव के बीच कुल 50 करोड़ रुपए के व्यापार में से 49 करोड़ रुपए भारत द्वारा मालदीव को निर्यात किए गए। भारत वर्ष 2022 में मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बनकर उभरा।
- भारत मालदीव के लिए सबसे बड़े निवेशकों और पर्यटन बाज़ारों में से एक है, जहाँ महत्त्वपूर्ण व्यापार और बुनियादी ढाँचा परियोजना चल रही हैं।
- **रक्षा :** भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एम.एन.डी.एफ.) के लिए सबसे अधिक प्रशिक्षण अवसर प्रदान करता है, जो उनकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  - अप्रैल 2016 में, रक्षा साझेदारी को मज़बूत करने के लिए रक्षा हेतु एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे।
  - रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय पहलों में एम.एन.डी.एफ. के लिए समग्र प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, तटीय रडार निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन और नए रक्षा मंत्रालय मुख्यालय का निर्माण शामिल है।
- **आपदा प्रबंधन :** वर्ष 2004 की सुनामी और 2014 के माले जल संकट के बाद, भारत ने मालदीव को पर्याप्त सहायता प्रदान की। भारत में एम.एन.डी.एफ. फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए गए।
- **विकासात्मक सहयोग :** भारत ने मालदीव में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट जैसी उल्लेखनीय विकास परियोजनाएँ लागू की हैं।
  - **कनेक्टिविटी परियोजना :** भारत ने माले को तीन पड़ोसी द्वीपों से जोड़ने के लिए मालदीव की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढाँचा परियोजना, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जी.एम.सी.पी.) के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भी प्रदान की है।
  - **मुद्रा स्वैप :** वर्ष 2019 में RBI और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (MMA) के बीच 400 मिलियन के एक द्विपक्षीय अमेरिकी डॉलर मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- **कोविड संबंधी सहायता :** कोरोना खतरे से निपटने में मालदीव के अधिकारियों और कर्मियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देने के लिए मार्च 2022 में मालदीव में 14 सदस्यीय रैपिड रिस्पांस मेडिकल टीम तैनात की गई थी।
  - **ऑपरेशन संजीवनी :** कोविड-19 खतरे से निपटने में मित्र देशों की मदद करने के भारत सरकार के प्रयासों के तहत 2 अप्रैल, 2020 को एक विशेष भारतीय वायु सेना (IAF) विमान ने भारत से मालदीव के लिए 6.2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 13

भारत और अमेरिका संबंध
(India and America Relations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत और अमेरिका संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
  - ➤ विभिन्न विद्वानों का मत
  - ➤ रक्षा क्षेत्र
  - ➤ व्यापारिक संबंध
  - ➤ सांस्कृतिक आदान-प्रदान
  - ➤ जलवायु सहयोग
  - ➤ सामरिक भागीदारी
  - ➤ महत्त्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी (आई.सी.ई.टी.) सहयोग
- चीन के प्रतिसंतुलन के रूप में भारत
- आगामी पहल और प्रत्याशित विकास
- भारत-अमेरिका संबंध में मुद्दे
- आगे की राह

पृष्ठभूमि

- भारत-अमेरिका संबंध स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, मानवाधिकारों और कानून के शासन के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। दोनों देशों के व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में साझा हित हैं।
- भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध एक "वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" के रूप में विकसित हुए हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर हितों के बढ़ते सहयोग पर आधारित है।
- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO), जी-20, दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN), अन्य क्षेत्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन (WTO) सहित बहुपक्षीय संगठनों में निकटता से सहयोग करते हैं।
- भारत आसियान का संवाद भागीदार, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का भागीदार तथा अमेरिकी राज्यों के संगठन का पर्यवेक्षक है। भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) का भी सदस्य है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक संवाद भागीदार है।
- अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को एशिया में दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने और आतंकवाद से लड़ने के लिए केंद्रीय मानता है।
- स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भारतीय विदेश नीति के प्राथमिक वास्तुकार जवाहरलाल नेहरू वैश्विक गुटबंदी से दूर रहने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने एक बीच का रास्ता चुना जिसे बाद में गुटनिरपेक्षता के रूप में जाना जाने लगा।
- जवाहरलाल नेहरू के तहत भारत ने पूर्व और पश्चिम के शक्ति गुटों के बीच सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हुए विश्व स्तर पर उन्मुख विदेश नीति अपनाई।
- नि:शस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद विरोधी तथा विश्व शांति पर भारत के रुख ने भारत के लिए एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों का सम्मान जीता, इस बात से संतुष्टि हुई कि उनमें से एक (भारत) दो महान शक्तियों के साथ समान शर्तों पर बात कर सकता था।
- शीतयुद्ध की समाप्ति और भारत के आर्थिक सुधारों के साथ सोवियत संघ के पतन ने दोनों देशों के एक-दूसरे को समझने के तरीके में क्रमिक बदलाव की प्रक्रिया को शुरू किया।

विभिन्न विद्वानों का मत

- **हर्ष पंत :** भारतीय विदेश नीति में प्रतिवर्ती अमेरिका विरोध अब स्पष्ट नहीं है।
- **अमिताभ मट्टू :** भारत-अमेरिका संबंध 'शानदार दौर' से गुज़र रहे हैं।
- **बराक ओबामा :** अतीत की झिझक पर काबू पाते हुए, 21वीं सदी की सबसे निर्णायक साझेदारी।

रक्षा क्षेत्र

- इसे भारत-अमेरिका संबंधों में 'सबसे उज्ज्वल स्थान' के रूप में जाना जाता है।
- अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार प्रदाता है और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सबसे अधिक संयुक्त अभ्यास करता है।
- भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चार मौलिक रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं–
  1. **सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा समझौता (जी.एस.ओ.एम. आई.ए.):** सैन्य सूचना आदान-प्रदान के लिए इस समझौते पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे।
  2. **लॉजिस्टिक्स-एक्सचेंज समझौता ज्ञापन (एल.ई.एम.ओ.ए.):** दोनों देश वर्ष 2016 में इस समझौते के तहत एक-दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने पर सहमत हुए।
  3. **संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौता (सी.ओ.एम.सी. ए.एस.ए.):** दोनों देशों द्वारा वर्ष 2018 में अंतर-संचालनीयता और भारत को उन्नत प्रौद्योगिकी के निर्यात की सुविधा के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
  4. **बुनियादी विनियम और सहयोग समझौता (बी.ई.सी.ए.):** वर्ष 2020 में अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, भू-स्थानिक मानचित्रण साझा करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत और अमेरिका की संयुक्त सेनाएँ क्वाड फोरम (मालाबार) में चार भागीदारों के साथ व्यापक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास (युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार) में संलग्न हैं।

हेड ऑफिस : 636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
प्रयागराज केंद्र : महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.
9555-124-124

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 14

भारत और रूस संबंध
(India and Russia Relations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत और रूस संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
  - ➤ प्रधानमंत्री की रूस यात्रा
- सहयोग के क्षेत्र
  - ➤ रक्षा क्षेत्र
  - ➤ व्यापार क्षेत्र
  - ➤ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र
  - ➤ ऊर्जा क्षेत्र
  - ➤ सांस्कृतिक संबंध
- भू-राजनीतिक क्षेत्र
  - ➤ दोनों देशों के बीच मौजूद चुनौतियाँ
- रूस-चीन-पाकिस्तान धुरी
- अमेरिका-रूस तनाव
  - ➤ अमेरिका-रूस तनाव के कारण
  - ➤ अमेरिका और पश्चिम से प्रतिक्रिया
- रूस-यूक्रेन युद्ध
  - ➤ भारत का रुख
  - ➤ भारत की स्थिति का विश्लेषण
  - ➤ भारत के लिए निहितार्थ
  - ➤ आगे की राह

पृष्ठभूमि

- रूस, भारत का दीर्घकालिक और समय-परीक्षित साझेदार रहा है। भारत-रूस संबंधों का विकास भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। भारत और रूस (पूर्व में सोवियत संघ) के बीच अप्रैल 1947 में औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से ही दीर्घकालिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं, जो भारत की स्वतंत्रता से कुछ महीने पहले ही हुआ था। यह संबंध दशकों में विकसित हुआ जिसमें सहयोग और तनाव दोनों के दौर रहे हैं।
- नव स्वतंत्र भारत और सोवियत संघ के बीच आरंभिक संबंध वैचारिक मतभेदों के कारण नगण्य थे। स्टालिन के अधीन सोवियत संघ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को संदेह की दृष्टि से देखता था। हालाँकि, 1950 के दशक में इसमें बदलाव आना शुरू हुआ, जब वर्ष 1955 में भारतीय प्रधानमंत्री नेहरु जी ने मास्को की यात्रा की और उसी वर्ष बाद में सोवियत नेता ख़ुश्चैव ने भारत की यात्रा की। भिलाई और बोकारो में स्टील प्लांट इन यात्राओं का प्रत्यक्ष परिणाम थे।
- शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ ने मज़बूत सामरिक, सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध विकसित किए। सोवियत संघ भारत को हथियारों और सैन्य उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया, जिससे उसकी रक्षा क्षमताएँ मज़बूत हुई। इसने वर्ष 1962 के चीन-भारत युद्ध और वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध सहित विभिन्न संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **वर्ष 1971 में शांति और मित्रता की संधि :** दोनों देशों की आम आकांक्षाओं की प्राप्ति के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शांति व सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप भी था।
- वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, आर्थिक चुनौतियों और बदलते वैश्विक परिदृश्य के कारण भारत-रुस संबंध कमज़ोर हो गए।
- **जनवरी 1993 में यू.एस.एस.आर. के विघटन के बाद मैत्री और सहयोग की संधि :** सोवियत संघ के विघटन के बाद, भारत और रूस ने जनवरी 1993 में मैत्री और सहयोग की एक नई संधि में प्रवेश किया और वर्ष 2000 में एक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की। इस संधि को वर्ष 2023 में 30 वर्ष पूरे हो गए।

प्रधानमंत्री की रूस यात्रा

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8-9 जुलाई, 2024 के मध्य मॉस्को, रूस की यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच '22वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
- 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के पश्चात एक 'संयुक्त वक्तव्य' जारी किया गया, जिसका शीर्षक था- "भारत-रूस: स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी"।
- दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की।
- 9 जुलाई, 2024 को भारत ने रूस में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास कज़ान एवं येकातेरिनबर्ग शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की।
- 9 जुलाई, 2024 को मॉस्को के क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार', "द ऑर्डर ऑफ सेंट एण्ड्रयू द अपोस्टल (The Order of St. Andrew the Apostle) से सम्मानित किया।

सहयोग के क्षेत्र

रक्षा क्षेत्र

- **हथियार आयात :** भारत के कुल हथियारों के आयात में रूस का योगदान 45% है, इसके बाद फ्राँस और संयुक्त राज्य अमेरिका (12%) व इज़रायल का स्थान है।
- भारत का रूस के साथ रक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग है। यह दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते द्वारा निर्देशित है। वर्ष 2021-2031 के लिए समझौते पर 6 दिसंबर, 2021 को दिल्ली में आयोजित भारत-रूस 2+2 वार्ता की बैठक के उद्घाटन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 15

भारत-पश्चिम एशिया संबंध
(India-West Asia Relations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत-पश्चिम एशिया संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
  - ➤ महत्त्व
  - ➤ मुद्दे
  - ➤ भारत की पश्चिम एशिया नीति
  - ➤ वर्तमान नीति
  - ➤ आगे की राह
- भारत-ईरान
  - ➤ ईरान का महत्त्व
  - ➤ मुद्दे
  - ➤ आगे की राह
- भारत-इज़रायल
  - ➤ सहयोग के क्षेत्र
  - ➤ भारत के लिए महत्त्व
  - ➤ समस्याएँ
  - ➤ फिलिस्तीन पर भारत की स्थिति
  - ➤ भारत का रुख बदलने का कारण
  - ➤ आगे की राह
- भारत-सऊदी अरब
  - ➤ भारत-सऊदी अरब सहयोग
  - ➤ मुद्दे
  - ➤ आगे की राह
- भारत-संयुक्त अरब अमीरात
  - ➤ सहयोग के क्षेत्र
  - ➤ रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग
  - ➤ सांस्कृतिक संबंध
  - ➤ चुनौतियाँ
  - ➤ आगे की राह
- भारत-इराक
  - ➤ इराक का महत्त्व
  - ➤ पश्चिम एशिया के तनाव के बीच भारत की सामरिक कूटनीति
  - ➤ पश्चिम एशिया में लगातार संघर्ष की स्थिति के कारण
  - ➤ पश्चिम एशियाई मुद्दों का भारत पर प्रभाव
  - ➤ भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंधों में संतुलन करने के उपाय

पृष्ठभूमि

- पश्चिम एशिया से भारत का संबंध सदियों पुराना है; सिंधु घाटी सभ्यता के दिलमुन (आधुनिक बहरीन) के साथ व्यापारिक संबंध थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पंजाब फारसी साम्राज्य का हिस्सा था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, मिस्र के टॉलेमी II और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक ने राजदूतों का आदान-प्रदान किया; फारसी मुगल दरबार की भाषा थी जो 1835 ई. तक भारत की राजभाषा थी, पश्चिम एशिया के साथ भारत का यह संबंध वर्तमान में भी जारी है।
- पश्चिम एशिया भारत के विस्तारित पड़ोस का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र में निरंतर शांति और स्थिरता भारत के लिए महत्त्वपूर्ण रणनीतिक हित में है।
- विदेश मंत्रालय का वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका प्रभाग (अल्ज़ीरिया, जिबूती, इज़रायल, मिस्र, लीबिया, लेबनान, मोरक्को, सीरिया, फिलिस्तीन, सूडान, सोमालिया, दक्षिण सूडान, ट्यूनीशिया तथा जार्डन) तथा खाड़ी प्रभाग [बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, यमन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, खाड़ी सहयोग परिषद् (GCC) तथा आर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC)] से संबंधित मामलों को देखता है।
- पश्चिम एशिया की महत्ता के बारे में 2 मार्च, 2016 को पहली रायसीना डायलॉग में सोच में बदलाव करते हुए, तत्कालीन विदेश सचिव डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "यदि पूर्वी मोर्चा लंबे समय से चली आ रही नीति पर निर्माण कर रहा है, तो पश्चिमी मोर्चा अपेक्षाकृत हाल ही में वैचारिक रूप से है..." उन्होंने आगे कहा "कहने के लिए, मैं विश्वास के साथ भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि 'एक्ट ईस्ट' का मिलान 'थिंक वेस्ट' से होगा।"

महत्त्व

- **ऊर्जा सुरक्षा :** भारत अपनी तेल आवश्यकता का 80% से अधिक आयात करता है। भारत के कच्चे तेल के आयात में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी पिछले 15 वर्षों में लगभग 60% पर स्थिर रही है।
- **रक्षा सहयोग :** इज़रायल को आतंकवाद विरोधी मॉडल के रूप में देखा जाता है और भारत ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को मज़बूत करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रणनीतिक सहयोग को मज़बूत किया है।
- **कनेक्टिविटी :** आई.एन.एस.टी.सी., ईरान में चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाएँ भारत को पश्चिम एशिया के साथ-साथ यूरेशिया तक कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती हैं।
- **सुरक्षा :** वृहद् भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा सहित फारस की खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **निवेश :** यू.ए.ई. सरकार ने भारतीय बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है, जबकि एन.आई.आई.एफ. ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के निवेश के लिए एक समझौता किया है। सऊदी अरब विदेशों में व्यापार के अवसरों में निवेश करने के लिए 3 बिलियन डॉलर का सोवेरिन वेल्थ फंड आरंभ करने की योजना बना रहा है जिससे भारत उनके लिए एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक गंतव्य बन जाएगा।
- **भारतीय प्रवासी :** खाड़ी रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जहाँ 8 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी समुदाय रहते हैं। कुल भारतीय प्रवासियों का एक-चौथाई हिस्सा इसी क्षेत्र में रहता है। भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है।

Copyright @ Sanskriti IAS

- भारत ने सऊदी से समान दूरी बनाए रखी है जिससे नई दिल्ली के लिए खाड़ी अरब देशों के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करना आसान हो गया है। इसने उन घटनाओं से भी दूरी बनाए रखी है जिन्हें ईरान अपने हितों के लिए प्रतिकूल मानता है।
- यह संतुलन क्षेत्र में भारत की भागीदारी में एक पैटर्न पेश करता है जो किसी के प्रति शत्रुता से नहीं, बल्कि राजनीतिक यथार्थवाद से संबद्ध हर किसी के साथ मित्रता द्वारा आकार ग्रहण करता है।
- शीत युद्ध के बाद से पश्चिम एशिया के प्रति भारत की नीति में काफी बदलाव आया है। प्रारंभ में, मिस्र, फिलिस्तीन और इराक भारत की नीति के केंद्र में थे, लेकिन समय के साथ ईरान, सऊदी अरब और इज़रायल भारत की नीति के प्रमुख स्तंभ बन गए हैं।

आगे की राह

- **भारत की सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना :** किसी भी अन्य प्रमुख शक्ति के पास खाड़ी क्षेत्र के देशों, विशेष रूप से जी.सी.सी. देशों के साथ लोगों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक अनुकूलता और सामाजिक-आर्थिक संपर्क का स्तर भारत जैसा नहीं है।
- **आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना :** पश्चिम एशिया में भारत की भागीदारी को प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और एक आर्थिक और सुरक्षा भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। जी.सी.सी. देशों से सोवेरिन वेल्थ फंड को आकर्षित करने के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और घरेलू व्यापार सुधारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **संतुलन नीति को जारी रखना :** भारत को मध्य पूर्व भू-राजनीति में बढ़ती फाल्ट लाइन की ओर कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। पारंपरिक समान-दूरी की नीति और सभी शक्तियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने से अतीत में प्रचुर लाभ मिला है और इसे जारी रखने की ज़रूरत है।
- **क्षेत्र में स्वतंत्र दृष्टिकोण :** भारत को उन महान शक्तियों के साथ क्षेत्रीय सहयोग को अधिकतम करने के लिए एक लचीली नीति अपनानी चाहिए जहाँ हमारे हित मिलते है और जब वे भिन्न होते हैं तो नकारात्मक परिणामों को कम करना चाहिए।
- **इस्लामिक लिंक का लाभ उठाना :** आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का लाभ उठाया जा सकता है।
- **रक्षा कूटनीति :** पश्चिम एशियाई देशों के रक्षा बलों के साथ सक्रिय जुड़ाव और संयुक्त रक्षा उत्पादन क्षेत्र में भारत की अवस्थिति में सुधार कर सकते हैं। सेना प्रमुख की हालिया यू.ए.ई. यात्रा एक अच्छी शुरुआत है।

Copyright @ Sanskriti IAS

में शेख जायद बिन सुल्तान के गद्दी संभालने के बाद और उसके बाद वर्ष 1971 में यू.ए.ई. फेडरेशन के निर्माण के बाद इस मैत्री में प्रगाढ़ता आई।

सहयोग के क्षेत्र

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध

- **आर्थिक सहयोग - CEPA:** दोनों देशों ने वर्ष 2022 में एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते का उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में उत्पादों में द्विपक्षीय वाणिज्य को 10 बिलियन डॉलर से अधिक और सेवाओं को 15 बिलियन डॉलर से अधिक तक बढ़ाना है।

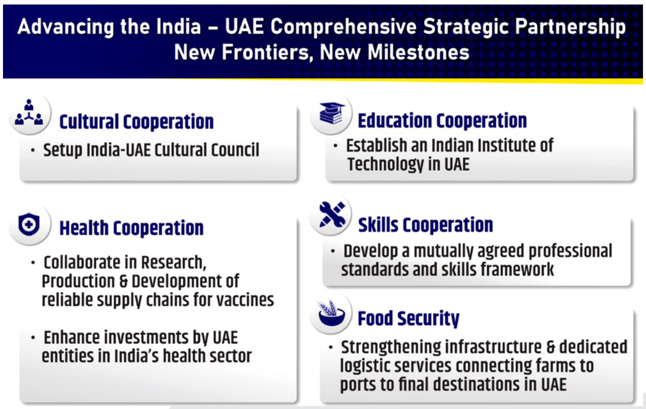

- **लाभ:** संयुक्त अरब अमीरात अधिमानी बाज़ार पहुँच प्रदान करता है जिससे भारतीय श्रमिकों के लिए दस लाख से अधिक नए रोज़गार सृजित होंगे।
- यू.ए.ई. भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार और तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- पिछले कुछ वर्षों में, भारत में यू.ए.ई. एफ.डी.आई. 12 बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ गया है।

ऊर्जा सहयोग

- यू.ए.ई. सबसे बड़े कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक है और 18 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल प्रदान करता है।
- क्रेता-विक्रेता संबंध, रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित।
- संयुक्त अरब अमीरात की मदद से पादुर और मैंगलोर में रणनीतिक कच्चे तेल के भंडारण का समझौता।

प्रौद्योगिकी भागीदारी

- **डिजिटल सहायता :** डिजिटल नवाचार, प्रौद्योगिकी भागीदारी के लिए समझौता।
- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में साझेदारी :** रेड मून मिशन जैसे मिशनों पर इसरो और यू.ए.ई.एस.ए. के सहयोग के लिए भविष्य की योजना
- **टेक्नोक्रेट के लिए वीज़ा :** अमीरात ने भारतीय तकनीकी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा रेजीडेंसी परमिट की पेशकश की है।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग

- भारत और यू.ए.ई. का द्विपक्षीय रक्षा सहयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है।
- वार्षिक रक्षा चर्चा आयोजित करने के अलावा, भारत और यू.ए.ई. ने वर्ष 2017 में एक व्यापक रणनीतिक समझौता किया।
- यू.ए.ई. और भारत ने आतंकवाद रोधी, खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त सैन्य अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने रक्षा और सुरक्षा को मजबूत किया है। उदाहरण के लिए, अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों, आकाश वायु रक्षा प्रणालियों और तेजस लड़ाकू जेट जैसे भारतीय रक्षा उत्पादों में यू.ए.ई. की रूचि बढ़ी।

सांस्कृतिक संबंध

- हिंदी, मलयालम और तमिल फिल्म उद्योगों को संयुक्त अरब अमीरात के सिनेमाघरों में व्यापक दर्शक प्राप्त है।
- अमीराती आबादी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गतिविधियों में भाग लेती है और संयुक्त अरब अमीरात में कई योग और ध्यान स्कूल संचालित हो रहे हैं।

चुनौतियाँ

- **व्यापार और वाणिज्यिक मुद्दे :** संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले भारतीय उद्यमों को अस्पष्ट व्यापार नियमों, असंगत श्रम कानूनों और अमीराती कंपनियों की ओर से पारदर्शिता की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **अरब-ईरान मुद्दे :** यू.ए.ई. और ईरान के बीच टुनब्स और अबू मूसा द्वीपों पर क्षेत्रीय विवाद है। क्षेत्रीय संकट की स्थिति में, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों के साथ संबंध सभी प्रभावित होंगे।
- नियोजित करने की एक ठेकेदारी प्रणाली है। इसमें बहुत सी खामिया है, जिससे मज़दूरों को परेशानीयों का सामना करना पड़ता है।
- **चीन की वित्तपोषण नीति :** चीन के पास प्रचुर वित्त है और वह बेहद कम ब्याज दरों पर वित्तपोषण प्रदान करता है जिससे भारतीय व्यवसाय दूर हो जाते हैं।

अब्राहम समझौता

- अब्राहम समझौता, जिसकी संयुक्त राज्य अमेरिका ने (2020 में) मध्यस्थता की, ने संयुक्त अरब अमीरात और इज़रायल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- बहरीन, सूडान और मोरक्को बाद में इसमें शामिल हो गए और बदले में, इज़रायल ने कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा करने की अपनी योजना को रोकने पर सहमति व्यक्त की।
- परिणामस्वरूप, यू.ए.ई. इज़रायल के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने वाला खाड़ी का पहला देश बन गया।
- संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और जॉर्डन (1994) के साथ इज़रायल को मान्यता देने वाला तीसरा अरब देश बन गया।
- **समझौते के अनुसार :** संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन दूतावास स्थापित करेंगे, राजदूतों का आदान-प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, व्यापार और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इज़रायल के साथ सहयोग करेंगे और संबद्ध होंगे।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 16

भारत और मध्य एशिया संबंध
(India and Central Asia Relations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत और मध्य एशिया संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पृष्ठभूमि
  - ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध
  - सहयोग का क्षेत्र
- मध्य एशिया क्षेत्र का महत्व
  - ऊर्जा सुरक्षा
  - सामाजिक
  - मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के हित
  - चुनौतियाँ
  - भारत के लिए अवसर

पृष्ठभूमि

- मध्य एशिया, यूरेशिया के मध्य में स्थित है और भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है।
- दो सहस्राब्दियों की अवधि में व्यापार, वाणिज्य और लोगों की पारस्परिक अंतर्क्रिया ने दोनों क्षेत्रों के बीच मज़बूत सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए हैं।
- भारत और मध्य एशिया के बीच का जुड़ाव का बहुत पुराना इतिहास है। दोनों पक्ष एक दूसरे के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करते हैं।
- घनिष्ठ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों की शुरुआत का पता सिंधु घाटी सभ्यता से लगाया जा सकता है।
- मध्य एशिया देशों में कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताज़िकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध

- **ऐतिहासिक संबंध :** ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से ही भारत और मध्य एशिया के बीच संबंध मज़बूत रहे हैं। वर्तमान मध्य एशियाई क्षेत्र कुषाण साम्राज्य द्वारा शासित था।
- **सांस्कृतिक संबंध :** सिल्क रोड के व्यापार और बौद्ध धर्म के विकास से ऐतिहासिक आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुए।
- **प्राचीन रेशम मार्ग :** भारत और मध्य एशिया प्राचीन काल से ही रेशम मार्ग से जुड़े हुए हैं जिसने दार्शनिक और बौद्धिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है।
- **इस्लाम और सूफीवाद :** मुगलों की उत्पत्ति मध्य एशिया से जुड़ी है (बाबर फरगना घाटी से था) और अल बरूनी, अमीर खुसरो और सूफी संतों जैसे कई उल्लेखनीय व्यक्तियों ने भारत में इस्लामी संस्कृति के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सहयोग का क्षेत्र

व्यापार और कनेक्टिविटी

- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):** INSTC एक मल्टी-मोड नेटवर्क है जो वस्तुओं के परिवहन के लिए भारत को ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ेगा।
- **अश्गाबात समझौता :** मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच वस्तुओं के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत, ईरान, कज़ाकिस्तान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने एक मल्टीमॉडल परिवहन समझौता किया है।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग

- **अफगानिस्तान के मुद्दे :** अफगानिस्तान की स्थिरता में भारत और मध्य एशिया का साझा हित है, इसलिए इन क्षेत्रों में सहयोग महत्त्वपूर्ण है।
- **संयुक्त सैन्य अभ्यास:** मध्य एशियाई देशों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता प्रमुख रही है, जैसे- उज़्बेकिस्तान के साथ 'डस्टलिक', किर्गिस्तान के साथ "खंजर" और कज़ाकिस्तान के साथ "काज़िंद"।

सांस्कृतिक जुड़ाव

- **लोगों के बीच अंतर्क्रिया :** भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को लोगों के बीच अंतर्क्रिया पर ज़ोर देने के कारण अलग पहचान मिली है।
- **शिक्षण केंद्र :** मध्य एशिया के देशों से कई छात्र उच्च अध्ययन के लिए भारत आते हैं क्योंकि भारत यूरोपीय और अमेरिकी विश्वविद्यालयों की तुलना में कम लागत पर उच्च शिक्षा प्रदान करता है।
- **सॉफ्ट पावर :** मध्य एशिया में लोग भारतीय फिल्मों का आनंद लेते हैं और हिंदी संगीत सुनते हैं।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 17

भारत एवं दक्षिण-पूर्व एशिया संबंध
(India and South-East Asia Relations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'भारत एवं दक्षिण-पूर्व एशिया संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- भारत की पूर्व की ओर देखो नीति
- आसियान
  - आसियान के उद्देश्य
  - आसियान के समक्ष चुनौतियाँ
- भारत तथा आसियान
  - भारत-आसियान आर्थिक सहयोग
  - भारत तथा आसियान के बीच सुरक्षा के पहलू
  - सुरक्षात्मक मुद्दों के लिए किए जा रहे प्रयास
  - दिल्ली घोषणा (2024)
- दक्षिण चीन सागर
  - दक्षिण चीन सागर में भारत के हित
  - भारत के लिए दक्षिण चीन सागर में आगे की रणनीति
- भारत और वियतनाम संबंध
  - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - भारत-वियतनाम
- भारत तथा सिंगापुर संबंध
  - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - वाणिज्यिक संबंध
  - सहयोग के अन्य क्षेत्र
- भारत थाईलैंड संबंध
  - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र
  - आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी
- भारत तथा फिलीपींस संबंध
  - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - व्यापार एवं वाणिज्य
  - निवेश के क्षेत्र
- भारत तथा मलेशिया संबंध
  - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - भारत-मलेशिया वाणिज्यक संबंध
- भारत-ब्रुनेई संबंध
  - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - भारत-ब्रुनेई द्विपक्षीय व्यापार
- भारत-कंबोडिया द्विपक्षीय संबंध
  - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - वाणिज्यिक संबंध
  - सहयोग के अन्य क्षेत्र
- भारत-लाओस द्विपक्षीय संबंध
  - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - भारत और लाओस के बीच द्विपक्षीय व्यापार
  - भारत तथा लाओस के बीच सहयोग का क्षेत्र
- भारत-इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंध
  - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - सांस्कृतिक संबंध
  - वाणिज्यिक संबंध
  - सहयोग के अन्य क्षेत्र

भारत की पूर्व की ओर देखो नीति
(India's Look East Policy)

- 'पूर्व की ओर देखो नीति' भारत की विदेश नीति को महत्त्वपूर्ण दिशा प्रदान करती है, जो इसके पूर्वी पड़ोसियों के साथ संबंधों का निर्धारण करती है। भारत की इस नीति के लिए एक शक्तिशाली आर्थिक औचित्य है। अनेक कारणों ने भारत को वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार करने के लिए प्रेरित किया जैसे– भारत के मज़बूत आर्थिक भागीदार सोवियत संघ का पतन, भारत का आर्थिक संकट तथा वैश्वीकरण की अनिवार्यता जैसे तत्त्व इत्यादि।
- इस तरह भारत के लिए अब आवश्यक था कि वह गतिशील (Association of South East Asian Nations– ASEAN) क्षेत्र से जुड़ जाए जो वैश्विक स्तर पर विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा था। विश्व व्यापार वार्ता के दोहा दौर की असफलता तथा एशिया में क्षेत्रीय व्यापार संस्थाओं के उत्थान ने भारत को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।
- ज़्यादातर दक्षिण–पूर्व एशियाई देश कभी न कभी कुछ हद तक भारतीय सभ्यता के प्रभाव में रह चुके हैं; व्यापार के अलावा भारत बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा, साहित्य, कला, स्थापत्य, राजनीतिक व सामाजिक संरचना के अलावा खान-पान के माध्यम से भी इस क्षेत्र से जुड़ा था।
- भारत के लिए लुक ईस्ट नीति का सूत्रपात प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ बेहतर संबंध निर्मित करने के उद्देश्य से किया गया। इस नीति के प्रारंभिक चरण में भारत ने पूर्वी एशियाई देशों (आसियान समूह) के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध स्थापित करने पर फोकस किया। अत: वर्ष 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार बना तथा वर्ष 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर का भागीदार बन गया। इस तरह भारत तथा आसियान के बीच व्यापार बढ़कर चार गुना (1991 में 3.1 बिलियन यूएस डॉलर से 2002 में 12 बिलियन यूएस डॉलर) हो गया।
- लुक ईस्ट नीति के दूसरे चरण के दौरान आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने के साथ-साथ रणनीतिक (सामरिक तथा सुरक्षा घटक) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास को भी शामिल किया गया इसलिए प्राय: इसे "लुक ईस्ट नीति 2.0" भी कह दिया जाता है जिसके लिए निर्धारित मानदंड निम्नलिखित हैं–
  - **मज़बूत तथा व्यापक आर्थिक जुड़ाव–** वर्ष 2010 में भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता जिसके कारण वर्ष 2012 में भारत तथा आसियान के मध्य व्यापार 80 बिलियन डॉलर पहुँच गया तथा निवेश में भी वृद्धि हुई।
  - **सामरिक तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दा–** चीन का उदय तथा उसकी दक्षिण चीन सागर में बढ़ती गतिविधि ने भारत को एक अवसर प्रदान किया क्योंकि फिलीपींस, जापान तथा दक्षिण कोरिया जैसे राष्ट्र उस क्षेत्र में भारत की भूमिका शांति तथा संतुलन बनाए रखने के रूप में देखते हैं।

Copyright @ Sanskriti IAS

- RCEP में भारत की मौजूदगी जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, आर्थिक व तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा का अधिकार, विवाद निपटान वार्ताओं को सम्मिलित किया जाता है, के माध्यम से भारत अपने आर्थिक हितों की पूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी वार्ता (RCEP Talks)

- यह दस आसियान देशों और उनके छह मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित देश (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड) के बीच प्रस्तावित व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण समझौता है। जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, आर्थिक व तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा का अधिकार, विवाद निपटान वार्ताओं को सम्मिलित किया जाता है।

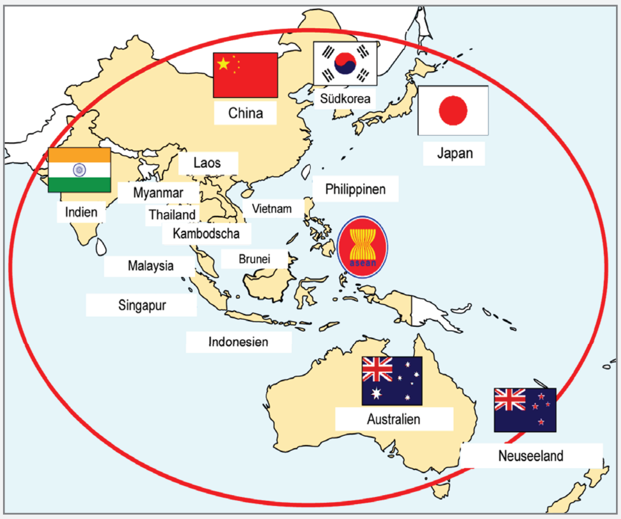

- RCEP वार्ता की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2012 में कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन में हुआ था। इसको ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है, हालाँकि संयुक्त राज्य अमेरिका के TPP से हट जाने के बाद RCEP संपूर्ण एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन गया है।
- RCEP में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं तथा व्यापार सुविधा उपायों जैसे मुद्दों के शामिल होने से विकास की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होती है। RCEP में सदस्य देशों की GDP लगभग 21.3 ट्रिलियन डॉलर और विश्व की जनसंख्या का लगभग आधी है (45%) तथा वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 26% की हिस्सेदारी है।
- अतः इस समझौते के लागू होने से RCEP दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बन सकता है। अतः भारत के इसमें शामिल होने से इसकी पहुँच एशिया-प्रशांत क्षेत्र तक सुनिश्चित हो सकेगी जो भारत की भावी आर्थिक व रणनीतिक प्रस्थिति के लिए महत्त्वपूर्ण होगी।

RCEP से संबंधित भारत की चुनौतियाँ

- वर्ष 2019 में RCEP समझौते के तहत चीन ने अपने बाज़ार को और अधिक उदार बनाने (टैरिफ समाप्त करने) की बात कही जो भारतीय हित के विपरीत है। दरअसल, भारत को RCEP के तहत टैरिफ समाप्त करने से लाभ की संभावना कम है।
- भारतीय उद्योग चीन के बाज़ार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की बजाय अपने घरेलू बाज़ार से चीन के सामानों को कम करने पर अधिक केंद्रित है। RCEP के बहुत से भागीदार देश चीन के इस प्रस्ताव पर भारत को अतिशीघ्र निर्णय लेने के लिए दबाव बना रहें हैं।
- भारत सरकार इस बात से भी चिंतित है कि अन्य RCEP (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी वाले) वाले देश सेवाओं के क्षेत्र में अधिकाधिक बाज़ार पहुँच से संबंधित भारत की मांग के प्रति अपनी उत्सुकता नहीं दिखा रहे हैं।
- वर्ष 2017 में विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि देश ऐसा कोई भी समझौता करने से बचना चाहेगा जिससे मध्यम अवधि में लाभ प्राप्त न हो। अतः भारत सरकार द्वारा कोई भी समझौता करने पर उचित संयम का पालन किया जाएगा।
- RCEP के संदर्भ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि, 'बड़े मुक्त व्यापार समझौते' (FTAs) बाज़ारों में पहुँच प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं में विनिर्माण क्षेत्रक की हिस्सेदारी बढ़ाने के हमारे प्रयासों के संबंध में कार्य करती है उनकी पद्धति के विषय में सतर्क रहना महत्त्वपूर्ण है'।

भारत तथा आसियान के बीच सुरक्षा के पहलू

इस क्षेत्र में बढ़ती व्यापक गतिविधियों ने सुरक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों को बढ़ा दिया है, जैसे- समुद्री सुरक्षा, धार्मिक कट्टरता, मानव दुर्व्यापार व मादक पदार्थों का तस्करी, दक्षिण चीन सागर विवाद इत्यादि अतः इस क्षेत्र में भारत को सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।

सुरक्षात्मक मुद्दों के लिए किए जा रहे प्रयास

- **आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM) प्लस–** यह आसियान में उच्चतम रक्षा परामर्शदात्री व सहकारिता तंत्र है। वर्ष में दो बार इसकी बैठक होती है जिसमें दस आसियान देश तथा चीन, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य, रूस तथा अमेरिका के रक्षा मंत्री सम्मिलित होते हैं। अतः भारत की इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थिति है। इसलिए भारत द्वारा इस मंच का सार्थक प्रयोग किया जा सकता है।
- **आसियान क्षेत्रीय फोरम (ARF)–** भारत वर्ष 1996 से ही इसकी वार्षिक बैठकों में शामिल होकर आसियान सुरक्षा संवाद के इस मंच पर अपनी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता रहा है।
- **विस्तारित आसियान समुद्री फोरम (EAMF)–** यह मंच समुद्री मुद्दों को केंद्र में रखते हुए ट्रैक-1.5 कूटनीति को प्रोत्साहित करता है।
- **एशिया प्रशांत में सुरक्षा और सहयोग हेतु परिषद् (CSCAP)** – भारत के रणनीतिक महत्त्व को देखते हुए वर्ष 2000 में इसको CSCAP की सदस्यता प्रदान की गई थी। यह ट्रैक-2 कूटनीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय विद्वानों और विशेषज्ञों के विचारों का आदान-प्रदान कर समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है।

Copyright @ Sanskriti IAS

दिल्ली घोषणा (2024)

- नई दिल्ली में आयोजित 26वीं आसियान-भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (ए.आई.एस.ओ.एम.) में आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सी.एस.पी.) में सकारात्मक विकास का स्वागत किया गया और संबंधों को और बढ़ाने के लिए आपसी प्रतिबद्धता साझा की गई।
- वरिष्ठ अधिकारियों ने आसियान और भारत में विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया और तीनों आसियान समुदाय स्तंभों में दोनों पक्षों के बीच सहयोग की। दोनों पक्षों ने आसियान-भारत कार्य योजना (पी.ओ.ए.) 2021-2025 में सभी उपायों के कार्यान्वयन का स्वागत किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने एक नया पी.ओ.ए. (2026-2030) विकसित करने की भी उम्मीद जताई जो अगले पाँच वर्षों के लिए सी.एस.पी. की पूरी क्षमता को साकार करने में दोनों पक्षों का मार्गदर्शन करेंगे।
- बैठक में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण पर आसियान-भारत संयुक्त वक्तव्य और परियोजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से समुद्री सहयोग पर आसियान-भारत संयुक्त वक्तव्य के कार्यान्वयन को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग स्थापित करना ही दिल्ली घोषणा का मुख्य उद्देश्य है। सागरीय विधि पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convetion on the Low of The Sea–UNCLOS), अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization– IMO) और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organization– ICAO) के माध्यम से समुद्री सहयोग को मज़बूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- समुद्र में होने वाली घटनाओं से निपटने तथा आपसी मेल-मिलाप के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा आसियान और भारत के बीच समुद्री खोज तथा सहयोग व समन्वय लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, ताकि एक सुरक्षित माहौल में संबंधित गतिविधियाँ संपन्न की जा सके।
- आतंकवाद, उग्रवाद व कट्टरपंथ का सामना करने के लिए इस क्षेत्र के देशों से अपेक्षित है कि वह सुचारु रूप से सूचना का आदान-प्रदान, कानून के प्रवर्तन में सहयोग व समन्वय स्थापित कर आतंकवाद की समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें।

दक्षिण चीन सागर (South China Sea)

- दक्षिण चीन सागर, दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित पश्चिमी प्रशांत महासागर का भाग है यह पूर्वी चीन सागर से ताइवान जलसंधि द्वारा तथा फिलीपींस सागर से लुज़ॉन (Luzon) जलसंधि से जुड़ा हुआ है।
- दक्षिण चीन सागर में निकटवर्ती देशों की ओर से महासागरीय स्थलों पर संप्रभुता स्थापित करने की होड़ लगी है जिससे प्राय: यह क्षेत्र विवाद का केंद्र बना रहता है। दरअसल, वर्ष 1947 में चीन ने एकपक्षीय घोषणा कर '9 डैश रेखा' के माध्यम से पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा प्रस्तुत करता है जिस पर अन्य देशों को आपत्ति है।

- दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में स्थित विवादित क्षेत्र विश्व के व्यस्ततम शिपिंग लेन में अवस्थित है तथा इनके चारो तरफ विशाल खनिज संसाधन अवस्थित है जो इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण बना देता है।
- चीन के विरुद्ध UNCLOS के प्रावधानों के अंतर्गत फिलीपींस ने वर्ष 2013 में हेग स्थित स्थायी न्यायालय में मुद्दा उठाया ताकि उसकी मध्यस्थता से शांतिपूर्ण समाधान निकल सके लेकिन चीन द्वारा उसके समक्ष उपस्थित होने से इनकार कर दिया गया।
- न्यायाधिकरण ने वर्ष 2015 में क्षेत्राधिकार पर अधिनिर्णय जारी किया जिसके तहत यह व्यक्त किया गया कि इसे फिलीपींस द्वारा प्रस्तुत सभी विवादों की उपयुक्तता पर विचार करने का क्षेत्राधिकार था।
- वर्ष 2016 में न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अंतिम अधिनिर्णय के तहत चीन के दावे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के विपरीत माने गए, जबकि चीन का मानना है कि न्यायाधिकरण के दोनों अधिनिर्णय (विवादों की उपयुक्तता का विचार और दक्षिण चीन सागर में चीन का UNCLOS के विपरीत दावे) अमान्य (Null and Void) हैं तथा उनमे (अधिनिर्णय में) कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है।

दक्षिण चीन सागर में भारत के हित

- भारत का लगभग 50% से अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर के मार्ग से होता है इसके अलावा भारत ने वियतनाम तट के किनारे हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण निवेश किया है। अत: भारत के लिए इस क्षेत्र में मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्ष लिया जाना स्वाभाविक ही है।
- भारत द्वारा इस क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता, खुली वायु सीमा के प्रयोग की स्वतंत्रता तथा कानून के शासन का समर्थन किया जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति का प्रभाव एशिया के सभी समुद्र तटवर्ती देशों में अस्थिरता बढ़ाने में सहायक हो सकती है।
- दिल्ली घोषणा (2018) के माध्यम से भी भारत ने दक्षिण चीन सागर से संबंधित गतिविधियों के बारे में पक्षों के आचरण पर घोषणा के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन किया।

Copyright @ Sanskriti IAS

- वर्ष 2017 में दोनों देशों द्वारा समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में व्यापक सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया जिससे महत्त्वपूर्ण समुद्री लेनों में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकेगी तथा एक-दूसरे की नौसैनिक सुविधाओं संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से भारत की प्रशांत क्षेत्र में सैन्य गतिशीलता भी बढ़ सकेगी।
- भारत द्वारा सिंगापुर को अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग दिया जा रहा है। ISRO द्वारा वर्ष 2011 से अब तक सिंगापुर के विभिन्न उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जा चुका है। दोनों देशों ने जून 2018 में स्वास्थ्य सेवा, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट ऊर्जा प्रणाली तथा ई-गवर्नेंस में सुधार के लिए AI-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग किए गए।
- सिंगापुर में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीय प्रवासी अनेक सांस्कृतिक समूहों के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियों को साझा करते हैं।
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सनटेक कन्वेंशन सेंटर (Suntec Convention Center– दुनिया की सबसे बड़ी HD वीडियो स्क्रीन) में गांधीजी का वीडियो चलाकर मनाया गया।
- भारत-आसियान भागीदारी के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जनवरी 2018 को सिंगापुर में भारत एशियन प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas) मनाया गया।

भारत थाईलैंड संबंध (India-Thailaind Relations)

पृष्ठभूमि (Background)

- भारत तथा थाईलैंड के बीच सदियों पुरानी सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध रहें हैं। दोनों देशों के बीच बौद्ध धर्म से संबंधित साझा संस्कृतियों का विकास हुआ। अनेक थाई लोग भारत में बौद्ध रुचि के स्थानों की नियमित तीर्थ यात्राएँ करतें हैं, दोनों देश दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय भागीदार हैं।
- थाई वास्तुकला, कला, मूर्तिकला, नृत्य, नाटक और साहित्य में परिलक्षित तत्त्वों में हिंदू तत्त्व पाए जा सकते हैं। इसके अलावा थाई भाषा में पाली और संस्कृत का प्रभाव समाहित है।
- भारत तथा थाईलैंड अंडमान सागर में एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। पिछले दो दशकों में नियमित राजनीतिक आदान-प्रदान, बढ़ते व्यापार व निवेश के साथ भारत-थाईलैंड संबंध अब व्यापक साझेदारी के रूप में विकसित हो चुके हैं। भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति दोनों देशों को करीब लाने में थाईलैंड की 'एक्ट वेस्ट' नीति की पूरक है।

द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र (Bilateral Institutional Mechanisms)

- भारत तथा थाईलैंड के बीच प्रमुख संस्थागत तंत्र निम्नलिखित हैं जिससे वो आपसी बातचीत के मध्याम से संबंधों में पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करते हैं।
  - संयुक्त आयोग की बैठक (JCM)
  - विदेश कार्यालय परामर्श (FOCs)
- **संयुक्त कार्य बल (Joint Task Force – JTF)–** दोनों देशों के बीच यह समुद्री सहयोग पर संयुक्त कार्य बल है।

आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी (Economic and Commercial Partnership)

द्विपक्षीय व्यापार (Bilateral Trade)

- वर्ष 2023 में भारत-थाईलैंड के मध्य कुल व्यापार 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ। इसमें 9.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर थाईलैंड से भारत को निर्यात तथा 5.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में थाईलैंड का आयात शामिल है।
- भारत तथा थाईलैंड का द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है। वर्ष 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 12.12 बिलियन यूएस डॉलर था और COVID-19 महामारी की स्थिति के बावजूद 2020 में यह 9.76 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुँच गया।
- थाईलैंड में प्रमुख भारतीय कंपनियों में शामिल हैं– टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडोरामा, एन.आई.आई.टी (NIIT), किर्लोस्कर बोरथर्स लिमिटेड इत्यादि।
- भारत में सक्रिय प्रमुख थाई कंपनियाँ हैं– चारोन पोकफंड ग्रुप, थाई यूनियन फ्रोज़न प्रोडक्ट्स PCL, इत्यादि।

रक्षा सहयोग

- जनवरी 2015 में भारत तथा थाईलैंड के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। वर्ष 2015 से, भारत 'ऑब्जर्वर प्लस' श्रेणी के रूप में सबसे बड़े एशिया प्रशांत सैन्य अभ्यास 'एक्स-कोबरा गोल्ड' (Ex-Cobra Gold) में भाग ले रहा है। दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच प्रतिवर्ष द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

सहयोग के अन्य क्षेत्र

- **भारत तथा थाईलैंड–** आसियान (ASEAN), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS), बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC), मेकांग गंगा सहयोग (MGC), एशिया सहयोग वार्ता (ACD), द महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) इत्यादि मंचों के माध्यम से पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 18

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद
(International Terrorism)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- आतंकवाद के कारण
  - ➤ सामाजिक-आर्थिक कारण
  - ➤ राजनीतिक कारण
  - ➤ धार्मिक कारण
- आतंकवाद के प्रकार
  - ➤ जातीय-राष्ट्रवादी आतंकवाद
  - ➤ धार्मिक आतंकवाद
  - ➤ विचारधारा-उन्मुख आतंकवाद
  - ➤ राज्य-प्रायोजित आतंकवाद
  - ➤ नार्को-आतंकवाद
- आतंकवाद के साधन या उपकरण
- आतंकवाद के वित्तीय स्रोत
- आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध उपाय
- बाह्य-राज्य समर्थित आतंकवाद
  - ➤ वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2024
- गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा आतंकवाद
- प्रमुख आतंकवादी संगठन
  - ➤ जैश-ए-मोहम्मद
  - ➤ लश्कर-ए-तैयबा
  - ➤ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट (आई.एस.आई.एल.)
  - ➤ हमास
  - ➤ हिज़्बुल्लाह
  - ➤ अल शबाब
  - ➤ बोको हराम
  - ➤ अल-कायदा
  - ➤ हूती
  - ➤ जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश
- संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध
- संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच अंतर
- संगठित अपराध से निपटने में चुनौतियाँ
- आतंकवाद के विस्तार के कारण
- आतंकवाद के उभरते खतरे
- आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
  - ➤ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर कन्वेंशन
  - ➤ आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की भूमिका
  - ➤ आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए 'संयुक्त कार्य समूह'
- भारत की आतंकवाद निरोधी तैयारियों के मुख्य पहलू
  - ➤ विभिन्न माध्यमों से सूचना एकत्रित करना
  - ➤ प्रशिक्षण एवं कार्यवाही
  - ➤ जाँच-पड़ताल
  - ➤ अभियोजन
- कुछ सामान्य सुझाव
  - ➤ संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद के विरुद्ध पहल
  - ➤ संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति के स्तंभ

परिचय (Introduction)

- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वह गैरकानूनी गतिविधि है जो किसी देश की सीमाओं को पार करती है और दूसरे देशों को प्रभावित करती है। इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर भय और अस्थिरता फैलाना होता है। यह तब होता है जब आतंकवादी संगठन किसी एक देश में स्थित होते हैं, किंतु उनकी गतिविधियों का प्रभाव कई अन्य देशों पर पड़ता है। वास्तव में आतंकवाद राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों के लिए जबरदस्ती के साधन के रूप में हिंसा का नियोजित, संगठित और व्यवस्थित उपयोग है।
- यह एक वैश्विक घटना बन गई है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन गई है। आतंकवाद का खतरा, चाहे वह व्यक्तियों, समूहों या राज्य बलों द्वारा अंजाम दिया गया हो, मानवता के विरुद्ध अपराध है जिसने पूरे विश्व में समाज को घायल कर दिया है।
- आतंकवाद ने न केवल लोकतंत्र और स्वतंत्रता के आदर्शों के लिए खतरा पैदा किया है, बल्कि मानव जाति के अस्तित्व, प्रगति और विकास के लिए भी गंभीर चुनौती पैदा की है।
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद दुनिया के लिए एक खतरनाक और कठिन खतरा बन गया है। आतंकवादी बड़े पैमाने पर लोगों को हताहत कर जानमाल का नुकसान कर जनता के बीच में भय पैदा कर सरकारों से अपनी मांगें मनवाने के लिए दुनिया भर में प्रयास कर रहे हैं।
- वैश्विक स्तर पर अभी तक आतंकवाद की कोई स्पष्ट एवं सर्व-स्वीकृत परिभाषा नहीं दी जा सकी है क्योंकि आतंकवाद के विषय में विश्व के देशों की अपनी अलग-अलग अवधारणा है और यह विषय हमेशा से राजनीति का शिकार रहा है। सामान्य शब्दों में, कहा जा सकता है कि आतंकवाद एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें लोगों को गंभीर रूप से डराने, किसी देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संरचनाओं को अस्थिर करने या उन्हें नष्ट करने या सरकार की कार्रवाई को रोकने के उद्देश्य से किए गए कार्य शामिल हैं।
- एफ.बी.आई. के अनुसार- आतंकवाद, राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी सरकार नागरिक आबादी या उसके किसी भी हिस्से को डराने या मजबूर करने के लिए व्यक्तियों या संपत्ति के खिलाफ बल और हिंसा का उपयोग है।
- यूरोपीय संघ के अनुसार- आतंकवाद एक ऐसा आपराधिक कृत्य है जिसमें बड़े पैमाने पर व्यक्तियों और संपत्ति के खिलाफ गंभीर अपराध शामिल हैं जो देश को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकते हैं। अन्य शब्दों में- एक संगठन जो किसी आबादी को गंभीरता से डराने या किसी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को किसी कार्य को करने या न करने के लिए मजबूर करने या किसी देश की मौलिक राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक या सामाजिक संरचना को गंभीर रूप से अस्थिर करने या नष्ट करने की गतिविधियों में शामिल है, आतंकवादी संगठन है।

हेड ऑफिस : 636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
प्रयागराज केंद्र : महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.
9555-124-124

Copyright @ Sanskriti IAS

- इस प्रकार, पाकिस्तान एक बाह्य-राज्य अभिकर्ता है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे रहा है।
- कई बार इस बात की आशंका व्यक्त की गई है कि पूर्वोत्तर भारत में बांग्लादेश और म्याँमार बाहरी राज्य अभिकर्ता के रूप में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं।
- अमेरिका के अनुसार, ईरान आतंकवाद का सर्वाधिक सक्रिय राज्य प्रायोजक बना हुआ है। अमेरिका का दावा है कि ईरान हिज़्बुल्लाह और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों को व्यापक मात्रा में धन, प्रशिक्षण व हथियार प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि हिज़्बुल्लाह पर ईरान का प्रत्यक्ष नियंत्रण है।
- बाह्य-राज्य, आतंकवादी संगठनों को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं, जैसे- वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता, हथियारों की आपूर्ति, आतंकवादियों को प्रशिक्षण, सुरक्षित आवास और अन्य ढाँचागत सुविधाएँ। इसके साथ ही, उन्हें वैचारिक समर्थन और मनोबल भी प्रदान करते हैं।

वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2024

- इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एण्ड पीस (IEP) द्वारा 4 मार्च 2024 को "वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, का 11वाँ संस्करण जारी किया गया। यह सूचकांक विश्व के 163 देशों (वैश्विक जनसंख्या का 99.7%) में आतंकवाद के प्रभाव का विश्लेषण है।
- इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एण्ड सीरिया (ISIS) लगातार 9वें वर्ष विश्व का सबसे घातक आतंकवादी समूह है।
- आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों में बुर्किना फासो, इज़रायल और माली क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है।
- वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2024 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों में 14वें स्थान पर है।
- इस सूचकांक में भूटान, कुवैत, सिंगापुर, ओमान, चीन समेत कुल 71 देशों को शून्य स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है।

गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा आतंकवाद (Terrorism by Non-State Actors)

- इस प्रकार के आतंकवाद में आतंकवादी घटनाओं को ऐसे व्यक्ति या संगठनों द्वारा अंजाम दिया जाता है जो किसी सरकार या सरकारी संगठन से संबद्ध या वित्तपोषित नहीं होते हैं।
- ऐसे संगठन दावा करते हैं कि वे सरकारी एजेंसियों से किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता नहीं लेते हैं। फिर भी, सरकारी तंत्र से इनके अप्रत्यक्ष संबंधों से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता है।
- लश्कर-ए-तैयबा (एल.ई.टी.) और इंडियन मुजाहिदीन (आई.एम.) जैसे कई प्रमुख आतंकवादी संगठन स्वयं को गैर-राज्य अभिकर्ता होने का दावा करते हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान द्वारा समर्थित हैं।
- गैर-राज्य अभिकर्ताओं का उपयोग पाकिस्तान द्वारा छद्म युद्ध के रूप में किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की संलिप्तता को अस्वीकार करना है। पाकिस्तान, आतंकी संगठनों के ज़रिए सीमावर्ती राज्य जम्मू एवं कश्मीर तथा भारत के आंतरिक भागों में अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास करता है। इसके परिणामस्वरूप भारत के सामाजिक-धार्मिक सौहार्द तथा आर्थिक हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- भारत में नक्सली संगठन और उत्तर-पूर्वी राज्यों के चरमपंथी संगठन गैर-राज्य अभिकर्ताओं के महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।

प्रमुख आतंकवादी संगठन

जैश-ए-मोहम्मद

- यह पाकिस्तान में स्थित एक चरमपंथी समूह है। इसकी स्थापना मसूद अजहर ने वर्ष 2000 की शुरुआत में भारत की जेल से रिहा होने के बाद की थी।
- इस संगठन को सेना, खुदामल इस्लाम और तहरीक उल-फुरकान के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना है।

लश्कर-ए-तैयबा

- यह संगठन कश्मीर केंद्रित आतंकवादी समूहों में सबसे बड़ा और सबसे कुशल है, इसे इस्लामिक चरमपंथी लोगों की सेना के रूप में भी जाना जाता है।
- इसका गठन 1990 के दशक की शुरुआत में मरकज़ उद-दावा-वल-इरशाद की सशस्त्र शाखा के रूप में हुआ था, जो कि 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का विरोध करने के लिए स्थापित एक पाकिस्तान स्थित इस्लामी कट्टरपंथी मिशनरी संगठन है।
- इसके द्वारा भारत में 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें स्वचालित हथियारों और ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए कई स्थलों पर हमले किए गए जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गए।

इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट (आई.एस.आई.एल.)

- इस संगठन की स्थापना अप्रैल 2004 में अबू मुसाब अल जरकावी ने की थी, जिसने समूह की वफादारी उस्मा बिन लादिन के प्रति की थी।
- इसका घोषित लक्ष्य प्रारंभिक मुस्लिम खलीफाओं द्वारा शासित क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को मज़बूत करना और उसका विस्तर करना तथा शरिया की अपनी सख्त व्याख्या के कार्यान्वयन के माध्यम से शासन करना है।
- इसने सीरिया में संघर्ष और इराक में सांप्रदायिक तनाव का फायदा उठाकर दोनों देशों में अपनी पैठ बना ली है।
- इस समूह ने विदेशियों पर इराक छोड़ने का दबाव बनाने, अमेरिका और इराकी सरकार के लिए इराकी लोगों के समर्थन को कम करने और नए लोगों को आकर्षित करने के लिए गठबंधन और इराकी सेना और नागरिकों को निशाना बनाया।

Copyright @ Sanskriti IAS

- वे आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण को अपराध घोषित करें।
- बिना देरी के आतंकवादियों की संपत्तियों को फ्रीज़ करें और उन पर प्रतिबंध लागू करें।

- आतंकवाद के वित्तपोषण का पता लगाने, जाँच करने और मुकदमा चलाने के लिए देशों की क्षमता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एफ.ए.टी.एफ. दो सूचियाँ जारी करता है- ब्लैक सूची और ग्रे सूची।
- यह आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों से जुड़े वित्तीय प्रावधानों को लागू करने में सहायता करता है। इस संदर्भ में इसने कई प्रकार के उपाय और मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित किए हैं।

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए 'संयुक्त कार्य समूह' (Joint Working Group to Combat Terrorism)

- आतंकवाद और संगठित अपराध के विरुद्ध लड़ाई को मज़बूत करने के लिए द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूहों के गठन का प्रावधान है। विदेश मंत्रालय इसके लिए नोडल प्राधिकरण है।
- ये कार्य समूह भारत और अन्य देशों के बीच आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा का मंच प्रदान करते हैं।

भारत की आतंकवाद निरोधी तैयारियों के मुख्य पहलू (Key Aspects of India's Counter-Terrorism Preparedness)

भारत में आतंकवाद के खतरों का सामना करने वाली संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण मुख्यत: चार शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है–

विभिन्न माध्यमों से सूचना एकत्रित करना (Collecting Information through Various Means)

- वित्तीय लेनदेन, वीज़ा, पासपोर्ट, सीमा पार से घुसपैठ, जालसाज़ी इत्यादि से संबंधित जानकारी एकत्रित करना तथा अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों एवं संगठनों का खुलासा करना। यह दायित्व राज्य पुलिस एवं केंद्र सरकार की एजेंसियों को सौंपा गया है। इस संबंध में नेटग्रिड एवं मैक की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- समाज में प्रत्येक स्तर पर लोगों को जागरूक करना एवं इनके माध्यम से सूचना प्राप्त करना। आतंकवाद जैसे गंभीर खतरों का सामना करने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसमें विशेष सावधानी की भी आवश्यकता होती है।
- एक ऐसा एकीकृत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से आम नागरिक अपने आसपास के संदिग्ध व्यक्तियों एवं सामग्री की जानकारी देने में सक्षम हों। पुलिस कर्मियों को विशेष प्रकार से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे वे आतंकवाद के खतरों का सामना करने के लिए जनता के साथ तालमेल बनाकर कार्य कर सकें।

प्रशिक्षण एवं कार्यवाही (Training and Action)

- आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में राज्य पुलिस बलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। किंतु, आज भी ये निम्न प्रशिक्षण स्तर और आवश्यक उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं। इस क्षेत्र में प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
- वर्तमान में, किसी खतरे से निपटने के दौरान आई.बी., राज्य पुलिस बल के साथ समन्वय बनाती है। किंतु, जब एकसाथ कई राज्यों में कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है तो यह कार्य जटिल हो जाता है। इसीलिए, एक एकीकृत कमांड की आवश्यकता है जो सभी एजेंसियों और कार्रवाइयों में समन्वयक का कार्य करे।

जाँच-पड़ताल (Investigation)

- केंद्रीय स्तर पर गठित शीर्ष जाँच एजेंसी एन.आई.ए. अपनी भूमिका का भलीभाँति निर्वहन कर रही है। किंतु, राज्य पुलिस बलों की जाँच पद्धति में सुधार की आवश्यकता है।
- आतंकी मामलों की जाँच प्रणाली को त्वरित और सटीक बनाने की आवश्यकता है। इसमें आधुनिक संचार तकनीक का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही, किसी मामले की जाँच करते समय उससे संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए।

अभियोजन (Prosecution)

- एन.आई.ए. एक्ट के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए जिससे आतंकवाद से जुड़े मामलों को त्वरित रूप से निपटाया जा सके।
- यदि किसी मामले में न्यायालय द्वारा समय पर सज़ा सुनाई जाती है तो अपराधियों में मनोवैज्ञानिक भय पैदा होता है। इससे आपराधिक या आतंकी गतिविधियों में कमी लाई जा सकती है।

कुछ सामान्य सुझाव (Some Common Suggestions)

- राजनीतिक समन्वय (Political Coordination) : राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों एवं नेताओं के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के विषय पर आम सहमति होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय हितों को वोटों की राजनीति या अन्य निहित स्वार्थ प्रभावित न करें। आज भारत में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्द्धा इतनी अधिक बढ़ गई है कि कई बार यह एक-दूसरे की देशभक्ति पर अविश्वास की स्थिति तक पहुँच जाती है। इससे छद्म राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में राजनीतिक दलों में सामंजस्य और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना होगा।
- मीडिया और सोशल मीडिया (Media and Social Media): आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मीडिया और सोशल मीडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। कई बार यह देखा गया है कि मीडिया अपने लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर अनावश्यक चर्चा करती है। चूँकि, संचार क्रांति के इस युग में सूचनाओं का अबाध प्रवाह होता है, इसलिए आंतरिक सुरक्षा के लिए संवेदनशील

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 19

अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता
(Dynamics of the International Economy)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता
  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
  - वित्तीय प्रवाह
  - तकनीकी प्रगति
  - अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और वैश्विक शासन
  - वैश्विक असमानता और विकास
  - प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव
  - वैश्विक वित्तीय संकट
  - वैश्वीकरण
  - वैश्विक संस्थानों की भूमिका

परिचय (Introduction)

अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें विभिन्न देशों के बीच आर्थिक अंत:क्रियाओं और वैश्विक व्यापार, वित्त और विकास पर उनके प्रभावों का परीक्षण किया जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त, विदेशी विनिमय दर, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की भूमिका जैसे विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता (Dynamics of the International Economy)

अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता (Dynamics of International Economy) का अर्थ है विश्व की आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न घटकों और कारकों का आपस में अंतर्संबंध, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। यह अर्थव्यवस्था का ऐसा ढाँचा है जो देशों के बीच व्यापार, वित्तीय प्रवाह, निवेश और तकनीकी प्रगति जैसी गतिविधियों के माध्यम से विकसित होता है। इन गतिविधियों का प्रभाव देशों की आर्थिक नीतियों, उत्पादन और उपभोग पर पड़ता है, इससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिरता, असमानता और विकास में बदलाव आते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade)
2. वित्तीय प्रवाह (Financial Flows)
3. तकनीकी प्रगति (Technological Advancements)
4. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और वैश्विक शासन (International Institutions and Global Governance)
5. वैश्विक असमानता और विकास (Global Inequality and Development)
6. प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव (Resource Use and Environmental Impact)
7. वैश्विक वित्तीय संकट (Global Financial Crises)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार है जो देशों को उन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में विशेषता हासिल करने में सक्षम बनाते हैं, जिनमें उन्हें तुलनात्मक लाभ होता है। इसमें देश पारस्परिक लाभकारी विनिमय से संलग्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों की वस्तुओं का एक विस्तृत शृंखला तक पहुँच, बाज़ार और लाभ कमाने हेतु विशिष्ट गुणवत्ता युक्त वस्तुओं में प्रतिस्पर्द्धा के मंच के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व व्यापार संगठन और क्षेत्रीय व्यापार संधियों जैसे समझौतों के माध्यम से व्यापार, आर्थिक विकास, उदारीकरण, नवाचार और जीवन स्तर को बढ़ावा देता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade) अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता का एक प्रमुख घटक है। इसका तात्पर्य विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान है। यह व्यापार विभिन्न देशों की आर्थिक स्थितियों, उत्पादन संसाधनों और तुलनात्मक लाभों के आधार पर संचालित होता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं–

1. तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantage)

- तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत बताता है कि देश उन्हीं वस्तुओं का निर्यात करते हैं, जिनका उत्पादन वे कुशलता से कर सकते हैं, जबकि अन्य वस्तुओं का आयात करते हैं। इसका अर्थ है कि एक देश वही वस्तुएँ बनाएगा जिनमें उत्पादन लागत कम और कुशलता अधिक है।
- उदाहरण के लिए, अगर भारत कपास उत्पादन में कुशल है और जापान तकनीकी वस्तुओं में, तो भारत कपास का निर्यात करेगा और तकनीकी उत्पादों का आयात करेगा। इससे दोनों देशों को आर्थिक लाभ होगा।

2. व्यापार नीति और समझौते (Trade Policies and Agreements)

- व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न देशों के बीच व्यापार समझौते होते हैं, जैसे मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements) या द्विपक्षीय समझौते। ये समझौते व्यापारिक नियमों को सरल बनाते हैं, शुल्कों में कटौती करते हैं और व्यापार की बाधाओं को कम करते हैं।
- WTO (विश्व व्यापार संगठन) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार नीतियों को नियमबद्ध करते हैं और व्यापारिक विवादों का निपटारा करते हैं।

हेड ऑफिस : 636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
प्रयागराज केंद्र : महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.
9555-124-124

Copyright @ Sanskriti IAS

- **जैव-विविधता में ह्रास (Biodiversity Loss):** वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से जैव-विविधता में कमी आ रही है। अनेक प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है।

4. प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग की चुनौतियाँ (Challenges for Sustainable Resource Use)

- **आर्थिक विकास बनाम पर्यावरणीय संरक्षण :** आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। अधिकतर विकासशील देश आर्थिक लाभ के लिए संसाधनों का दोहन करते हैं, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ता है।
- **कानूनी और नीतिगत चुनौतियाँ :** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कानूनों और नीतियों का अभाव है, जिससे संसाधनों के अनुचित दोहन को रोकने में कठिनाई होती है। कई देशों में संसाधन संरक्षण के लिए स्पष्ट नीतियाँ नहीं हैं।
- **जलवायु अनुकूलन :** जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तकनीकी और वित्तीय अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जो विकासशील देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है।
- **स्थानीय समुदायों का सहयोग :** संसाधनों के सतत् उपयोग के लिए स्थानीय समुदायों का सहयोग आवश्यक है। लेकिन, अक्सर इन समुदायों की ज़रूरतों और विकास लक्ष्यों में टकराव होता है।

5. वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय सुधार के लिए उपाय (Measures for Global Environmental Improvement)

- **नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग :** सौर, पवन, जल और बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हो सकती है जिससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा।
- **संसाधनों का कुशल प्रबंधन :** प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और टिकाऊ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना, जैसे- जल संरक्षण, स्मार्ट कृषि, और अपशिष्ट पुनर्चक्रण। इससे संसाधनों की खपत और पर्यावरणीय नुकसान कम होंगे।
- **हरित प्रौद्योगिकी का विकास :** उद्योगों में हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाने से पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आएगी। हरित प्रौद्योगिकी का उद्देश्य उत्पादन में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और संसाधनों का पुन: उपयोग करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समझौते :** पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल और सतत् विकास लक्ष्य (SDGs) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए विश्वव्यापी रणनीतियाँ प्रस्तुत करते हैं। इन समझौतों का उद्देश्य देशों के बीच सहयोग और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना है।

6. संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका (Role of United Nations and Other International Organizations)

- **संयुक्त राष्ट्र :** संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और सतत् विकास लक्ष्य (SDGs) के माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र अहम भूमिका निभाता है। UNEP ने पर्यावरणीय संरक्षण, जलवायु कार्रवाई और सतत् विकास पर कई पहलें की हैं।
- **विश्व बैंक और IMF:** ये संस्थाएँ विकासशील देशों को सतत् विकास और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। विश्व बैंक ने जलवायु वित्तपोषण की पहल भी की है।
- **WTO और व्यापार समझौते :** WTO ने पर्यावरणीय उत्पादों और हरित प्रौद्योगिकी के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से सतत् विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

7. सतत् विकास और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी (Sustainable Development and Environmental Responsibility)

- सतत् विकास का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे और भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
- पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी में सरकारों, उद्योगों और व्यक्तियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। इसके लिए उद्योगों को हरित मानकों का पालन करना चाहिए और सरकारों को कठोर पर्यावरणीय नीतियाँ लागू करनी चाहिए।

निष्कर्ष

प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और इसके पर्यावरणीय प्रभाव एक जटिल समस्या है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारों और समाज का सहयोग आवश्यक है। सतत् विकास, हरित प्रौद्योगिकी, और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है।

वैश्विक वित्तीय संकट (Global Financial Crises)

अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता में वैश्विक वित्तीय संकट (Global Financial Crises) एक महत्त्वपूर्ण विषय है, जो वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, वित्तीय असंतुलन और बाज़ारों में गिरावट को समझाने में सहायक है। वैश्विक वित्तीय संकट ऐसे आर्थिक झटके होते हैं जो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक स्तर पर प्रभावित करते हैं, जिससे आर्थिक विकास दर, रोज़गार और आमदनी पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके प्रमुख उदाहरणों में वर्ष 2008 का वित्तीय संकट और 1929 ई. की महामंदी शामिल हैं।

1. वैश्विक वित्तीय संकट का अर्थ (Meaning of Global Financial Crisis)

- वैश्विक वित्तीय संकट एक ऐसी स्थिति है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इसमें शेयर बाज़ारों में भारी गिरावट, मुद्रा मूल्य में अस्थिरता, ऋण की समस्याएँ, और वैश्विक आर्थिक मंदी शामिल हो सकती है।
- वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं, व्यवसायों और सरकारों पर कर्ज़ का बोझ बढ़ जाता है, बैंक और वित्तीय संस्थान अस्थिर हो जाते हैं और बेरोज़गारी में वृद्धि होती है।

Copyright @ Sanskriti IAS

2. वैश्विक वित्तीय संकट के प्रमुख कारण (Major Causes of Global Financial Crises)

- **बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनियमितता :** बैंक और वित्तीय संस्थानों में अनुचित जोखिम प्रबंधन, गलत निवेश और जटिल वित्तीय उत्पादों (जैसे- डेरिवेटिव्स) के कारण वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न होती है।
- **संपत्ति बुलबुले का फटना :** जब किसी खास संपत्ति वर्ग (जैसे- रियल एस्टेट या शेयर) का मूल्य असामान्य रूप से बढ़ जाता है और फिर अचानक गिर जाता है, तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जैसे कि वर्ष 2008 के संकट में रियल एस्टेट बुलबुले के फटने का मुख्य कारण था।
- **ऋण और क्रेडिट संकट :** अधिक कर्ज़ लेना और कमाई की तुलना में अधिक खर्च करने से भी संकट उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि वर्ष 2008 के संकट में उपभोक्ताओं और व्यवसायों का अत्यधिक कर्ज़ में डूब जाना।
- **मुद्रा मूल्य अस्थिरता :** मुद्रा बाज़ारों में अस्थिरता, जैसे किसी देश की मुद्रा का अचानक अवमूल्यन, अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है।
- **विश्वव्यापी आर्थिक असंतुलन :** जब देशों के बीच व्यापार में बड़े असंतुलन होते हैं, जैसे कि कुछ देशों का लगातार व्यापार अधिशेष और कुछ का घाटा, तो यह अस्थिरता का कारण बन सकता है।

3. महत्त्वपूर्ण वैश्विक वित्तीय संकट (Major Global Financial Crises)

- **1929 ई. की महामंदी (The Great Depression):** यह विश्व इतिहास का सबसे गंभीर वित्तीय संकट था, जो अमेरिका में शेयर बाज़ार की गिरावट के साथ शुरू हुआ और 1930 के दशक में वैश्विक मंदी में बदल गया। इस मंदी से बेरोज़गारी, व्यापारिक असफलताएँ और उत्पादन में भारी कमी हुई।
- **वर्ष 1997 का एशियाई वित्तीय संकट (Asian Financial Crisis):** इस संकट की शुरुआत थाईलैंड से हुई, जब उनकी मुद्रा 'बाथ' का मूल्य तेज़ी से गिरा। इसके बाद यह संकट दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य देशों में फैल गया, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- **वर्ष 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट (Global Financial Crisis of 2008):** यह संकट अमेरिका के सबप्राइम मॉर्गेज बाज़ार में ऋण अस्थिरता से शुरू हुआ और फिर बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय बाज़ारों में फैल गया। इसके कारण Lehman Brothers जैसे प्रमुख बैंक दिवालिया हो गए और वैश्विक मंदी उत्पन्न हो गई।

4. वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव (Impacts of Global Financial Crisis)

- **आर्थिक मंदी :** वित्तीय संकट का सबसे प्रमुख प्रभाव आर्थिक मंदी होती है, जहाँ उत्पादन, व्यापार और निवेश में गिरावट आती है। इसके कारण व्यवसाय बंद होते हैं और बेरोज़गारी में वृद्धि होती है।
- **बैंकिंग प्रणाली पर असर :** संकट के दौरान बैंक और वित्तीय संस्थान अस्थिर हो जाते हैं। बैंक कर्ज़ देने में कमी करते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ धीमी हो जाती हैं।
- **व्यापार और निवेश में कमी :** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में भारी गिरावट आती है, जिससे विकासशील देशों को अधिक नुकसान होता है।
- **मुद्रा अस्थिरता :** वैश्विक संकट के कारण मुद्रा बाज़ारों में अस्थिरता बढ़ जाती है, जिससे मुद्रा मूल्य में उतार-चढ़ाव होता है और विभिन्न देशों की मुद्राओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **आय और संपत्ति में गिरावट :** संकट के कारण शेयर बाज़ारों में गिरावट आती है और आम जनता की आय और संपत्ति में कमी आती है। इसके अलावा, विकासशील देशों में गरीबी और असमानता भी बढ़ जाती है।

5. वैश्विक वित्तीय संकट के समाधान (Solutions to Global Financial Crises)

- **सख्त नियामक नीतियाँ :** बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में सख्त नियामक नीतियों का पालन करने से वित्तीय अस्थिरता को रोका जा सकता है। वित्तीय संस्थाओं के लिए जोखिम प्रबंधन, अनिवार्य रिज़र्व और क्रेडिट जाँच जैसे उपाय आवश्यक होते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग :** वित्तीय संकट के दौरान IMF, विश्व बैंक, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग महत्त्वपूर्ण होता है। ये संगठन आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
- **मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ :** केंद्रीय बैंक संकट के दौरान ब्याज दरों में कमी करके और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करके संकट को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही, सरकारें रोज़गार बढ़ाने के लिए राजकोषीय नीति के तहत खर्च बढ़ा सकती हैं।
- **आर्थिक सुधार और संरचनात्मक परिवर्तन :** संकट के बाद संरचनात्मक सुधार, जैसे- कर सुधार, श्रम कानूनों में सुधार और व्यापार नीतियों का उदारीकरण, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में सहायक होता है।
- **संकट का पूर्वानुमान और जोखिम प्रबंधन :** वित्तीय संकट की भविष्यवाणी करने के लिए सटीक आर्थिक संकेतकों का विकास करना और वैश्विक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मज़बूत करना आवश्यक है।

6. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका (Role of International Organizations)

- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF):** IMF संकट के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करता है और देशों को आर्थिक सुधार के सुझाव देता है। वर्ष 2008 के संकट के दौरान IMF ने कई देशों को कर्ज़ दिया।
- **विश्व बैंक :** यह संगठन विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और विकास परियोजनाओं में सहायता करता है, ताकि आर्थिक अस्थिरता को रोका जा सके।
- **वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO):** यह संगठन वैश्विक व्यापार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है और विभिन्न देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाता है।
- **फाइनेंशियल स्टैबिलिटी बोर्ड (FSB):** यह संस्था वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने के लिए काम करती है और वित्तीय संकट के प्रभाव को कम करने के उपाय करती है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 20

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दे
(International Environmental Issues)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दे तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
  - विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा
  - साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ
  - जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2024
  - साझी संपदा
  - पर्यावरण आंदोलन – एक या अनेक
  - सतत् विकास
  - ग्रीनहाउस प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णता
  - समतापमंडल में ओजोन अवक्षय
  - सतत् विकास रिपोर्ट-2024
  - पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, 2024
  - विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, 2023
- समुद्री प्रदूषण
  - भूमि आधारित प्रदूषण
  - समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल
  - इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)

परिचय

- वर्तमान समय में, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि आर्थिक और सामाजिक विकास पर्यावरण की सुरक्षा और मानवीय प्रभाव में कमी पर निर्भर करता है।
- हम जिन पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके समाधान खोजना बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है। पर्यावरणीय समस्याएँ, जिनका वैश्विक प्रभाव हो सकता है, जटिल हैं और अक्सर सामाजिक-आर्थिक कारकों से जुड़ी होती हैं। जल और वायु प्रदूषण, ठोस और खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन, मिट्टी का क्षरण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान जैसी ये समस्याएँ राजनीतिक सीमाओं को नहीं पहचानती हैं और मानव सुरक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए बड़े खतरे पैदा करती हैं। मानव भविष्य के लिए इन खतरों के कारण, इन समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है।
- पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का एक महत्त्वपूर्ण आयाम जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना है। समस्याओं का उचित समाधान केवल सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के बीच सहयोग से ही किया जा सकता है।
- पृथ्वी ग्रह के लिए खतरा पैदा करने वाली वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय प्रयासों के साथ-साथ द्वि पक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों की सक्रीय भागीदारी की आवश्यकता है।
- इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र, ओ.ई.सी.डी., ओ.एस.सी.ई. और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक और क्षेत्रीय मंच, बहुपक्षीय स्तर पर वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के संयुक्त टकराव के प्रयासों को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका समन्वय कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) की स्थापना सन् 1972 के मानव पर्यावरण सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन) के उत्पादक परिणामों में से एक के रूप में की गई थी। यू.एन.ई.पी. पर्यावरण की समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर व्यापक विचार-विमर्श और समन्वित कार्रवाई के लिए एक आधार प्रदान करता है।
- यू.एन.ई.पी. के तत्वावधान में जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता, मरुस्थलीकरण से निपटना, खतरनाक अपशिष्टों की आवाजाही पर नियंत्रण, ओजोन परत, लुप्त प्राय प्रजातियों में अवैध व्यापार जैसे-पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत शृंखला को कवर करने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सम्मेलनों को विस्तृत रूप दिया गया है।
- दुनिया भर में कृषि-योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो रही जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। चारागाहों के चारे खत्म होने को है और मत्स्य-भंडार घट रहा है। जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है उसमें प्रदूषण बढ़ा है। इससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ की मानव विकास रिपोर्ट (2016) के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता और यहाँ की दो अरब चालीस करोड़ आबादी साफ-सफाई की सुविधा से वंचित है। इस वजह से 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं।
- प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, इनसे जलचक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैव-विविधता का भंडार भरा रहता है लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। जैव-विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन पर्यावासों का विध्वंस जो जैव-प्रजातियों के मामले में समृद्ध हैं।
- धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
- पूरे विश्व में समुद्रतटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्रतटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसाहट जारी है और इस प्रवृति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी।

हेड ऑफिस : 636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
प्रयागराज केंद्र : महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.
9555-124-124

Copyright @ Sanskriti IAS

अन्य प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से समुद्री कूड़े की समस्या न केवल बनी हुई है, बल्कि दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। इसके अलावा, समुद्री कूड़ा कचरा प्रबंधन की व्यापक समस्या का हिस्सा है, जो कई देशों में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंता बन रहा है।

- दुनिया भर में, क्षेत्रीय समुद्र कार्यक्रम उन कानूनों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं जो उद्योगों और व्यक्तियों को समुद्र में कचरा फेंकने से रोकते हैं। यह राष्ट्रीय सरकारों को इन कानूनों को लागू करने में मदद करने के लिए क्षमता निर्माण पर भी काम करता है।

भूमि आधारित प्रदूषण

- नगरीय, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट तथा अपवाह, समस्त समुद्री प्रदूषण का 80 प्रतिशत तक जिम्मेदार हैं। सीवेज और अपशिष्ट जल, लगातार कार्बनिक प्रदूषक (कीटनाशकों सहित), भारी धातुएँ, तेल, पोषक तत्व और तलछट- चाहे नदियों द्वारा लाए गए हों या सीधे तटीय जल में छोड़े गए हों। मानव स्वास्थ्य और कल्याण के साथ-साथ तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर भी गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसका परिणाम समुद्री भोजन में अधिक कैंसरकारी तत्व, अधिक बंद समुद्र तट, अधिक लाल ज्वार और समुद्री पक्षियों, मछलियों और यहाँ तक कि समुद्री स्तनधारियों के अधिक शवों का समुद्र तट पर होना है।
- इस व्यापक समस्या से निपटने के लिए पहला क्षेत्रीय कदम भूमध्य सागर में उठाया गया, जहाँ तीन साल की कठिन और नाजुक बातचीत के बाद मई 1980 में प्रदूषण के भूमि-आधारित स्रोतों पर प्रोटोकॉल को अपनाया गया। अगले दो दशकों में, इस ऐतिहासिक समझौते ने अन्य क्षेत्रीय समुद्रों में भी इसी तरह के क्षेत्रीय समझौतों को जन्म दिया।
- विकासशील देशों में एक अरब लोग प्रोटीन के प्राथमिक स्रोत के लिए मछली पर निर्भर हैं, जिससे वे मछली में मौजूद रसायनों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- अगले दो दशकों में, दुनिया भर में क्षेत्रीय समुद्र कार्यक्रमों ने इसी तरह के समझौते स्थापित किए हैं, जो मुख्य रूप से भूमि आधारित गतिविधियों से समुद्र पर्यावरण के संरक्षण के लिए 1995 के वैश्विक कार्य कार्यक्रम (जी.पी.ए.) द्वारा निर्देशित हैं, जो भूमि आधारित प्रदूषण या हानिकारक गतिविधियों के स्रोतों की पहचान करने के लिए काम करता है, और उन्हें कम करने के उपायों के प्राथमिक कार्य कार्यक्रम तैयार करता है।

समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल

- जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (MARPOL) परिचालन या दुर्घटना के कारण जहाजों द्वारा समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण की रोकथाम को कवर करने वाला मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो 2 नवंबर 1973 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा MARPOL कन्वेंशन को अपनाया गया था।
- जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (MARPOL) की 50वीं वर्षगांठ वर्ष 2023 में मनाई गयी। विश्व समुद्री दिवस का 2023 का विषय था "MARPOL 50 पर हमारी प्रतिबद्धता जारी है"।
- जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने समुद्री जैव विविधता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते को अपनाया। इस समझौते को "उच्च समुद्र" संधि के नाम भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना तथा समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना है।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)

- भारत आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आई.बी.सी.ए.), जो कि प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान 9 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है।
- भारत, निकारागुआ, एस्वातिनी तथा सोमालिया आई.बी.सी.ए. के चार संस्थापक सदस्य देश है। इसका मुख्यालय भारत में स्थित है।
- यह एलायंस विश्व की सात प्रमुख बिग कैट्स यथा- बाघ, शेर (Lion), तेंदुआ (Lropard), हिम तेंदुआ (Snow Leopard), प्यूमा (Puma), जगुआर (Jaguar) और चीता के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। इन सात बिग कैट्स में से पाँच बिग कैट्स यथा-बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ औश्र चीता भारत में पायें जाते हैं।
- आई.बी.सी.ए. की परिकल्पना एक बहु-देशीय, बहु-एजेंसी गठबंधन के रूप में की गई है। यह 95 बिग कैट रेंज देशों, बिग कैट्स के संरक्षण में रूचि रखने वाले गैर-रेंज देशों और बिग कैट्स के संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संरक्षण भागीदारों और वैज्ञानिक संगठनों आदि का एक गठबंधन है।

❑❑❑

Copyright @ Sanskriti IAS